सनदी लेखाकार अधिनियम 1949,
सनदी लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006
के जरिये संशोधित एक सूक्ष्म विवरण।

अधिनियम के बारे में

चार्टड लेखाकार अधिनियम 1949, (No. 38 of 1949) 1 जुलाई 1949 से प्रभाव में आया। जिसे हम सनदी लेखाकार दिवस के रूप में मनाते है।
सनदी लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 1959 के जरिये इसमें कुछ संशोधन किये गये।
47 वर्षो के एक लंबे अंतराल के पश्चात सनदी लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 के जरिये इस अधिनियम में विस्तृत परिवर्तन किये गये। जो 23 मार्च 2006 से प्रभाव में आया।
संपूर्ण अधिनियम को 9 अध्यायों में बॉटा गया है। [सनदी लेखाकार (संशोधन) अधिनियम 2006 द्वारा डाला गया अध्याय VIII A सहित]
विषय वस्तु की संपूर्ण गणना नीचे दी जा रही है :–

अध्याय	I	-	आरंभिक
अध्याय	II	-	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउण्टेंट ऑफ इंडिया
अध्याय	III	-	कॉउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट
अध्याय	IV	-	सदस्यों का रजिस्टर
अध्याय	V	-	दुर्व्यवहार
अध्याय	VI	-	प्रादेशिक काउंसिल
अध्याय	VII	-	दंड
अध्याय	VIII A	-	गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड
अध्याय	VIII	-	विविध

अनुसूची :–

दो अनुसूचियॉ है :–

1. प्रथम अनुसूची
2. द्वितीय

1. प्रथम अनुसूची :– प्रथम अनुसूची के 4 भाग है। (सनदी लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा डाला गया भाग IV सहित)

भाग I - प्रैक्टिस में सनदी लेखाकार के संबंध में पेशेगत दर्व्यवहार से डील करता है।
भाग II - सेवा में सनदी लेखाकार के संबंध में पेशेगत दुर्व्यवहार से डील करता है।
भाग III- सामान्यत इंस्टीट्यूट के सदस्यों के संबंध में पेशेगत दुर्व्यवहार से डील करता है।
भाग IV- सामान्यतः इंस्टीट्यूट के सदस्यों के संबंध में अन्य दुर्व्यवहार से डील करता है।

2. द्वितीय अनुसूची :–

द्वितीय अनुसूची के 3 भाग है। [सनदी लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा डाले गये भाग III सहित]

CA Aseem Trivedi

भाग - I प्रैक्टिस में चार्टड लेखाकार के संबंध में पेशेगत दुर्व्यवहार से डील करता है।
भाग - II सामान्यतः इंस्टीट्यूट के सदस्यों के संबंध में पेशेगत दुर्व्यवहार से डील करता है।
भाग - III सामान्यतः इंस्टीट्यूट के सदस्यों के संबंध में अन्य दुर्व्यवहार से डील करता है।

टीका टिप्पणी :–

प्रारंभ में वास्तविक अधिनियम में मद 'अन्य दुर्व्यवहार' को पारिभाषित नहीं किया गया था। परंतु वर्तमान में इस संशोधन द्वारा 'अन्य दुर्व्यवहार' को परिभाषित किया गया।

प्रारंभ में प्रथम अनुसूची में तीन भाग तथा द्वितीय अनुसूची में II भाग थे।

दोनो ही अनुसूचियों में अन्य दुर्व्यवहार को परिभाषित कर उसे प्रत्येक के एक भाग के रूप में जोड़ा गया है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

सनदी लेखाकार से क्या आशय है ?

धारा 2 (1) (b)के अनुसार सनदी लेखाकार से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो इंस्टीट्यूट का एक सदस्य है। धारा 4 के अनुसार एक व्यक्ति इंस्टीट्यूट के सदस्यों के लिये निर्धारित परिक्षाओं को उत्तीर्ण कर लिया है तथा निर्धारित प्रशिक्षण को पूरा कर लिया है। सदस्यों के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिये योग्य है।

धारा 8

सदस्य बनने की अयोग्यताएँ

अधिनियम की धारा 8 के अनुसार एक व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में नहीं लिखा जा सकता यदि :–

a) उसने रजिस्टर में अपने नाम के प्रवेश के लिये आवेदन के समय 21 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं किया है।
b) वह अस्वस्थ मस्तिष्क का है, तथा योग्य न्यायालय द्वारा ऐसा निर्णय दिया गया है।
c) वह दिवालिया घोषित किया गया है।
d) वह मुक्त दिवालिया है, तथा न्यायालय से यह प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है कि उसका दिवालियापन उसको दुर्भाग्य के कारण है न कि किसी दुर्व्यवहार के कारण।
e) उसे नैतिक दुर्व्यवहार में लिप्त एक अपराध के लिये भारत में अथवा भारत के बाहर दोषी ठहराया गया है अथवा तड़ीपार किया गया है अथवा सजा दी गई है जो तकनीकी प्रकृति का नहीं है जो उसके द्वारा उसकी पेशेवर क्षमता में किया गया हो जब तक कि उसे उसके द्वारा किये गये अपराध के लिये क्षमा प्रदान न की गई हो अथवा उसके द्वारा इस संदर्भ में एक आवेदन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा एक लिखीत आदेश के द्वारा उसकी अयोग्यता को न हटा दिया गया हो।
f) पूछताछ में जांच किये जाने पर उसे पेशेवर अथवा अन्य दुर्व्यवहार का दोषी पाये जाने पर इंस्टीट्यूट की सदस्यता से उसे हटाया गया है।

इसके अतिरिक्त यह प्रदान किया गया है कि एक व्यक्ति जिसे एक निर्दिष्ट अवधि के लिये सदस्यता से हटाया गया है उस अवधि की समाप्ति तक रजिस्टर में अपने नाम के प्रवेश के लिये हकदार नहीं होगा।

<u>कब एक सदस्य को प्रैक्टिस में माना जायेगा ?</u>

सनदी लेखाकार अधिनियम की धारा 2 परिभाषित करती है कि इंस्टीट्यूट के एक सदस्य को 'प्रैक्टिस में' माना जायेगा जब व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रैक्टिस में चार्टड लेखाकार के साथ वह साझेदारी में प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक के प्रतिफल में –

CA Aseem Trivedi

1) स्वयं को लेखांकन की प्रैक्टिस में लिप्त करता है।

2) वित्तीय सौदा पुस्तकों लेखा अथवा रिकार्ड के अंकेक्षण अथवा सत्यापन अथवा वित्तीय लेखांकन तथा संबंधित विवरण की तैयारी सत्यापन अथवा प्रमाणीकरण से लिप्त सेवा को निष्पादित करता है अथवा स्वयं को सार्वजनिक रूप से लेखांकक दिखाता है।

3) लेखांकन प्रक्रिया अथवा वित्तीय तथ्यों तथा ऑकड़ो की रिकॉर्डिग , प्रस्तुतीकरण तथा प्रमाणीकरण से संबंधित विवरण अथवा सिद्धांत के मामले पेशेवर सेवा अथवा सहायता को प्रदान करता है।

4) इस प्रकार की अन्य सेवाओं को प्रदान करता है जिसे कांउसिल की राय में एक प्रैक्टिस में चार्टड लेखाकार द्वारा प्रदान किया जाता है अथवा प्रदान किया जा सकता है।

व्याख्या :–

इंस्टीट्यूट का एक एसोसिएट अथवा फैलो जो प्रैक्टिस में चार्टड एकाउण्टेंट अथवा फर्म का एक वेतनभोगी कर्मचारी है को आर्टिकल सहायक के प्रशिक्षण के सीमित उद्देश्य के लिये प्रैक्टिस में माना जायेगा।

<u>अभिव्यक्ति ''प्रबंधकीय परामर्श तथा अन्य सेवा'' की परिभाषा को नीचे दिया गया है :–</u>

अभिव्यक्ति ''प्रबंधकीय परामर्श तथा अन्य सेवा'' में –

1. वैधानिक और आवधिक अंकेक्षण।
2. कर (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) मामलों से संबंधित प्रतिनिधित्व अथवा सलाह, अथवा।
3. निस्तारक, न्यासी, निष्पादक, प्रशासक, पंचार (arbitration) तथा रिसीवर के रूप में कार्य करना शामिल नहीं है। परंतु निम्नलिखित शामिल है।

I. वित्तीय प्रबंध योजना तथा वित्तीय नीति निर्धारण।

II. पूँजी संरचना योजना तथा वित्त को उगाने संबंधी सलाह।

III. कार्यशील पूँजी प्रबंधन।

IV. परियोजना रिर्पोट तथा संभाव्य अध्ययन को तैयार करना।

V. नकद बजट नकद प्रवाह विवरण, लाभदायकता विवरण, फंड के स्त्रोत। तथा फंड के उपयोग का विवरण।

VI. बजटिंग, पूँजी बजट तथा राजस्व बजट को शामिल करते हुये।

VII. माल प्रबंधन, सामग्री की देख–रेख तथा भंडारण।

VIII. बाजार अनुसंधान तथा मांग अध्ययन।

IX. कीमत निश्चित करना तथा अन्य प्रबंधकीय निर्णय।

X. प्रबंध लेखांकन तंत्र, लागत नियंत्रण तथा मूल्य विश्लेषण।

XI. कार्मिक भर्ती तथा चयन।

XII. कार्यपालक प्रोत्साहन योजना, मजदूरी प्रोत्साहन योजना इत्यादि की स्थापना

XIII. प्रबंधकीय तथा परिचालन अंकेक्षण।

XIV. अंशो तथा व्यापार का मूल्यांकन तथा सम्मिश्रण, विलय तथा अधिग्रहण के संबंध में सलाह देना।

XV. व्यापारिक नीति, निगमित योजना, संगठन विकास, वृद्धि तथा विविधीकरण।

XVI. संगठन संरचना तथा व्यवहार, प्रशिक्षण कार्यक्रम के डिजाईन तथा सॉफ्टवेयर के विकास सहित कम्प्यूटर संबंधित सेवा, तंत्र विशलेषण तथा डिजाईन जिसे अन्यथा प्रैक्टिस में चार्टड अकॉउटेंट द्वारा प्रदान किया जायेगा तथा साथ ही EDP संबंधित किसी अन्य पेशेवर सेवाओं को भी चलायेगा।

CA Aseem Trivedi

XVII. एक निर्गम के सलाहकार अथवा परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगा। जिसमें निम्न मामलें शामिल है।

a) प्रविवरण तथा प्रविवरण की महत्वपूर्ण विशेषता वाले एक अनुस्मारक के प्रारूप की फाईलिंग तथा।

स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी के पंजीयक तथा सेबी के साथ पूरी करने वाली औपचारिकता तथा सूचीबद्ध समझौते की फाईलिंग।

b) प्रचार बजट की तैयारी (1) विज्ञापन (2) दलालों , निवेशकों इत्यादि की सम्मेलन स्थल (3) निर्गम के बैंकर्स (4) संग्रहण केन्द्र (5) निर्गम के ब्रोकर (6) अभिगोपक तथा उसके प्रबंधन का चयन (7) आवेदन पत्र प्रविवरण तथा ब्रोचर सहित प्रचार तथा निर्गम सामग्री का वितरण तथा उसकी मात्रा पर निर्णय लेना। ऐसा करने में आचार संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिये।

c) निर्गम से जुड़ी विभिन्न ऐसेन्सी के चयन के संबंध में सलाह देना जैसे निर्गम का पंजीयक, मुद्रक तथा विज्ञापन ऐसेन्सी।

d) निर्गम के बाद की गतिविधियों पर सलाह देना जैसे कार्य से जुड़ी विभिन्न ऐजेन्सी के कार्य अनुगमन चरण (yellow up steps) जिनमें शामिल है प्रलेखों का सूचीकरण तथा प्रमाणपत्रों एवं वापसी का डिस्पेच।

व्याख्या :–

संदेह को दूर करने के लिये यह स्पष्ट किया गया है कि दलाली, अभिगोपन तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन की गतिविधियों की अनुमति नहीं है।

XVIII. प्रतिभूतियों के संबंध में निवेश सलाह देना (जैसा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 तथा अन्य वित्तीय प्रलेख में परिभाषित है।) ऐसा करते समय आचार संहिता के संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए।

XIX. एक निर्गमन तथा अंशो/अन्य प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिये पंजीयक के रूप में कार्य करना।

ऐसा करते समय आचार संहिता के संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिये।

XX. गुणवत्ता अंकेक्षण।

XXI. पर्यावरण अंकेक्षण।

XXII. ऊर्जा अंकेक्षण।

XXIII. बैंकिंग क्षेत्र में वसूली परामर्शदाता के रूप में कार्य करना।

XXIV. बीमा दलाली को शामिल करते हुए बीमा विनियमक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बीमा वित्तीय सलाहकार सेवा प्रदान करना।

Poser: 01 एक व्यक्ति की श्रेणी क्या होगी यदि उसके पास अभ्यास का प्रमाणपत्र नहीं है लेकिन वह एक लेखांकन के अभ्यास में लिप्त है।

Hint: Deemeb to be in practice sec. 2 (2)

इसके अतिरिक्त धारा 2 में परिभाषित किया गया है कि यदि एक सदस्य अपनी पेशेवर क्षमता में न कि एक व्यक्तिगत क्षमता में और न ही एक कर्मचारी की क्षमता में निम्नांकित कार्य करता है तो उसे प्रैक्टिस में माना जायेगा –

i. एक निस्तारक, निष्पादक प्रशासक, पंचाट अथवा रिसीवर के रूप में कार्य करता है।

ii. लागत, वित्तीय अथवा कराधान मामलों में एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

iii. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार न्यायालय अथवा किसी अन्य कानूनी प्राधिकरण द्वारा की गई नियुक्ति लेता है।

CA Ascent Trivedi

इसीलिये एक चार्टड लेखाकार जो अभ्यास में नहीं है अपने अंकल को सलाह देता है तो यह उसकी व्यक्तिगत क्षमता में माना जायेगा न कि पेशेवर क्षमता में।

धारा – 5

ICAI का फैलो तथा एसोसिएट सदस्य

सनदी लेखाकार अधिनियम की धारा 5 के अनुसार इंस्टीट्यूट के सदस्यों को दो भागों में बॉटा गया है जिन्हें क्रमशः एसोसिएट्स (ACA) तथा फैलो (FCA) कहा जाता है।

कोई भी व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज है उसे इंस्टीट्यूट का एक एसोसिएट सदस्य माना जायेगा तथा अपने नाम के अंत में शब्द ACA का उपयोग करने का हकदार होगा। जो यह दर्शायेगा कि वह संस्था का एसोसिएट सदस्य है।

एक सदस्य एक एसोसिएट होगा,

1. जो भारत में लगातार पॉच वर्षो से कम से कम पॉच वर्षो तक प्रैक्टिस में रहा है चाहे इस अधिनियम की स्थापना के पहले हो अथवा बाद अथवा आंशिक रूप से पहले और आंशिक रूप से बाद में। तथा
2. एक सदस्य जो लगातार ऐसी अवधि के लिये एसोसिएट है जो पॉच साल से कम नहीं है तथा जो इन योग्यताओं पर अधिकार रखता है जो काउंसिल की राय में यह सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित की जाती है कि उसके पास वह अनुभव है जो सामान्यतः एक चार्टड लेखाकार को लगातार 5 वर्षो तक प्रैक्टिस करने के पश्चात् प्राप्त होता है।

एक निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान कर जो किसी भी दशा में 5000 रू. से ज्यादा नहीं होना चाहिये (संशोधन से पहले 200 रू.) तथा आवेदन करने पर तथा एक निर्धारित तरीके से अनुमोदित होने पर (स्वतः नहीं) रजिस्टर में इंस्टीट्यूट के फैलो के रूप में प्रवेश किया जा सकता है तथा अपने नाम के पश्चात् FCA शब्द का प्रयोग करने का अधिकारी होगा जो इस बात को दर्शायेगा कि वह इंस्टीट्यूट का एक फैलो है।

ठसके अतिरिक्त संशोधन अधिनियम में यह भी प्रदान किया गया है कि काउंसिल केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर 5,000 रू. से अधिक की फीस निर्धारित कर सकती है जो किसी भी दशा में 10,000 रू. से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

धारा – 6

प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र

अधिनियम की धारा 6 के अनुसार इंस्टीट्यूट का सदस्य भारत में अथवा कही भी प्रैक्टिस का अधिकारी नहीं होगा जब तक की उसने काउंसिल से प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र प्राप्त न किया हो।

ऐसे प्रत्येक सदस्य को अपने प्रमाणपत्र के लिये (प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के प्रथम दिन) ऐसे शुल्क का भुगतान करना चाहिये जिसे काउंसिल द्वारा निर्धारित किया गया हो (जो 3,000 रू. से अधिक नहीं हो सकती) यदि काउंसिल 3,000 रू. की निर्धारित फीस से अधिक निश्चित करती है तो उसे पहले केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेनी होगी। (इसके पश्चात् फीस को 6,000 रू. तक बढ़ाया जा सकता है।) तथा ऐसा शुल्क प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन अथवा उससे पहले भुगतान किया जाना चाहिये।

धारा 6 की उपधारा (3) के अनुसार, उपधारा (1) के अंतर्गत प्राप्त किया गया प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र काउंसिल द्वारा उन परिस्थितियों में रद्ध किया जा सकता है जो निश्चित की गई है।

Q. 01 क्या एक चार्टड लेखाकार जब निर्गमन से संबंधित सेवाओं की संपूर्ण रेंज दे सकता है ?

CA Aseem Trivedi

Answer: परिषद ने यह निर्णय दिया है कि एक अभ्यासरत चार्टड लेखाकार एक कंपनी के निर्गमन से संबंधित सलाहकारी सेवाओं की संपूर्ण रेंज दे सकता है किंतु ऐसी सलाहकारी सेवाओं में शामिल नहीं है –

- दलाली गतिविधियॉ
- अभिगोपन गतिविधियॉ
- पोर्टफोलियो प्रबंध की गतिविधियॉ

Q. 02 क्या एक अभ्यासरत चार्टड लेखाकार बीमा सलाहकारी सेवायें दे सकता है ?

Answer: चार्टड लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 2 (2) में निहीत शक्तियों के अनुसार, परिषद ने अपनी 245 वीं सभा जो 31 अगस्त 2004 से 2 सितंबर 2004 तक आयोजित की गई थी, में बीमा नियमन तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अंतर्गत बीमा वित्तीय सलाहकार सेवाओं को शामिल करने का निर्णय किया गया जिसमें बीमा दलाली का भी समावेश किया है जो कि प्रबंध सलाहकार तथा अन्य सेवाओं की परिभाषा में आती है।

Q. 03 क्या एक बिना अभ्यास वाला चार्टड लेखाकार सेवाएँ प्रदान कर सकता है जहॉ अटेस्टेशन की आवश्यकता नहीं है ?

Answer: एक सदस्य जो कि अभ्यास में नहीं है को ऐसी स्वीकृतियॉ लेने से वंचित कर दिया गया है जो कि सामान्यतः एक चार्टड लेखाकार के लिये सुनिश्चित की गई है यहॉ तक कि ऐसा करने के लिये उसे किसी विशेष योग्यता की भी आवश्यकता नहीं।

Q. 04 क्या एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में से हटाये जाने के दौरान किसी अन्य क्षमता में कार्य कर सकता है ?

Answer: एक चार्टड लेखाकार, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में से किसी पेशेवर अथवा अन्य दुराचरण की वजह से हटाया जा रहा है, तो ऐसी हटाई जाने वाली अवधि के दौरान, विभिन्न कर प्राधिकरण अथवा अन्य निकायों

Poser: 02 मि. X की श्रेणी क्या होगी जिनके पास एक ऑफिस स्थापित करने के लिए अभ्यास का प्रमाणपत्र नहीं है कि वह आंतरिक अंकेक्षण प्रबंध सलाहकार जहॉ उन्हे एक दक्ष चार्टड लेखाकार की क्षमता में किसी भी तथ्यों अथवा ऑकड़ो को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं।

Hint: अभ्यास में माना जायेगा तथा धारा 6 का उल्लंघन।

Poser: 03 संस्थान का एक सदस्य

धारा – 7

सदस्य जिन्हें सनदी लेखाकार के रूप में जाना जाता है। धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित शर्तो के अधीन एक सदस्य स्वयं को एक सनदी लेखाकार के रूप में डेजीग्नेट कर सकता है।

1. सदस्य जो प्रैक्टिस में हैः–

CA Aseem Trivedi

इंस्टिट्यूट का प्रत्येक सदस्य जो अभ्यास में है स्वयं को एक सनदी लेखाकार के रूप में डेजीग्नेट कर सकता है तथा इस धारा के अनुसार वह अन्य किसी पदवी का प्रयोग करने के लिये प्रतिबंधित है।

तथापि एक सदस्य जो अभ्यास में है, काउंसिल द्वारा अनुमोदित लेखांकन संस्था अथवा लेखांकन इंस्टीट्यूट के अतिरिक्त अन्य संस्था की सदस्यता का संकेत देने वाले पत्र अथवा विवरण का उपयोग कर सकता है जिसमें किसी अन्य पदवी को अपनाना निहीत न हो तथा यह विज्ञापन अथवा प्रचार नहीं है।

उदाहरण के लिये यद्यपि एक सदस्य स्वयं को एक कंपनी सचिव के रूप में डेजीग्नेट नहीं कर सकता यदि उसनें ICAI से COP प्राप्त किया है पर वह अपने नाम के अंत में A.C.S. शब्द का उपयोग कर सकता है ज बवह उस इंस्टीट्यूट का सदस्य है।

2. सदस्य जो अन्यथा कार्यरत हैः–

ऐसा प्रत्येक सदस्य अपने विवके पर सनदी लेखाकार की पदवी का उपयोग कर सकता है परंतु ऐसी पदवी का उपयोग करते समय उसे यह अनुमति नहीं है कि वह अन्य किसी विवरण का प्रयोग नहीं कर सकता है। भले ही वह इसके अतिरिक्त है अथवा इसके स्थानापन्न में है। इंस्टीट्यूट के एक सदस्य को अब यह अनुमति है कि वह अपने नाम के पहले 'CA' शब्द का प्रयोग प्रीफिक्स के रूप में कर सकता है। इस तथ्य के असंगत किवह अभ्यास में है अथवा नहीं।

Poser: 04 क्या निम्नांकित कथन सत्य है ?

प्रत्येक व्यक्ति जो संस्थान का सदस्य बनने योग्य है वह अपने आपको एक चार्टड लेखाकार के रूप में बता सकता है।

Hint: नहीं, केवल ICAI का सदस्य ही अपने आपको CA बता सकता है। (धारा 7)

Poser: 05 प्रत्येक सदस्य चाहे वह अभ्यास में हो अथवा न हो अपने आपको चार्टड लेखाकार के रूप में बता सकता है। विचार दीजिये ?

Hint: हॉ, (धारा 7)

Topic – 2
अनुशासनात्मक प्रक्रिया

ICAI के व्यवसायिक नैतिकता के प्रथम प्रकाशन के अनुसार पेशेवर नैतिकता का व्यवहार मुख्यतः विवेक तथा यह निर्धारित करने का विषय है कि सदस्य यह अंतर तय कर सके कि क्या सही है और क्या गलत।

यहॉ कुछ और भी अनैतिक तथा अनुचित कार्य हो सकते है जिन्हें चार्टड लेखाकार अधिनियम में दुर्व्यवहार के नियमों की सूची में कठोरता से न बताया गया हो।

ICAI की काउंसिल ने यह भी स्पष्ट किया है कि ''जब कभी भी सदस्य का सामना नीतिगत व्यवहार से संबंधित एक विषय के दो अर्थो से होता है एक नीतिगत तथा दूसरा वैधानिक तो उसे किसी एक लचीले/उदार अर्थ के बजाय एक कठोर अर्थ को अपनाना चाहिये, भले बाद वाला पूर्णतः वैधानिक हो।

डॉ. कमल गुप्ता, जो प्रसिद्ध तथा अंकेक्षण विषय के प्रसिद्ध लेखक है, ने पेशेवर के लिये अनुशासन की आवश्यकता को परिभाषित किया है।

उनके शब्दों में –

''एक पेशेवर लेखांकक के व्यवहार, दायित्व तथा आचरण को कुछ मानकों की आवश्यकता पर अतिरिक्त बल नहीं दिया जा सकता।''

एक पेशा जनता का विश्वास तथा भरोसा केवल तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके सदस्य के व्यवहार के कुछ विशिष्ट मानक तय किये जाये तथा सख्तता से उनका अवलोकन किया जाये।

CA Aseem Trivedi

कुछ पेशे जैसे कि चिकित्सा तथा पेशे केवल अपने नीतिगत व्यवहार तथा आचरण से जनता का विश्वास प्राप्त करते है।
इसलिये यह केवल नीतिगत व्यवहार के ही सख्त अवलोकन है कि लेखांकन पेशे का एक सदस्य, एक चरित्रवान तथा ईमानदार व्यक्ति के रूप में विश्वसनीय होगा।
चार्टड लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 ने अनुशासन तंत्र को परिवर्तित कर दिया है। इसने कुछ मदों को प्रस्तावित किया है तथा उन्हें बार–बार दोहराया है जो निम्नांकित प्रकार से हैः–

अनुशासन बोर्ड
[धारा 21A (1)]

धारा 21A (1) के अनुसार काउंसिल निम्नांकित को मिलाकर एक अनुशासन बोर्ड का गठन करेगी–

a) पेशे तथा अनुशासनात्मक मामलों का ज्ञान रखने वाला तथा कानूनी अनुभव रखने वाला व्यक्ति उसका पीठासीन अधिकारी होगा।
b) दो सदस्य जिसमें से एक सदस्य काउंसिल का होगा जिसे काउंसिल द्वारा चुना जायेगा तथा अन्य सदस्य जिसको कानून, अर्थशास्त्र, व्यापार, वित्त अथवा लेखांकन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों मेंसे में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित किया जायेगा।
c) निदेशक (अनुशासन) बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

धारा 21A (1) की उपधारा (2) के अनुसार अनुशासन बोर्ड अपने सामने आये मामलों को हल करने के लिये संक्षिप्त निपटारा प्रक्रिया (Summary dispasal procedure) का पालन करेगा।

अनुशासन समिति
[धारा 21 B]

धारा 21 B की उपधारा (1) के अनुसार निम्न को मिलाकर काउंसिल एक अनुशासन समिति का गठन करेगी –

1) काउंसिल का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होगा।
2) दो सदस्यों को काउंसिल के सदस्यों के बीच से चुना जायेगा।
3) दो सदस्यों को जिन्हे कानून, अर्थशास्त्र, व्यापार, वित्त अथवा लेखांकन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों के मध्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त यह प्रावधान किया गया है कि काउंसिल एक से अधिक अनुशासन समिति का गठन कर सकती है जब वह आवश्यक समझे।

अपीलीय प्राधिकरण
[धारा 22A]

जैसा कि धारा 22A की उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार एक अधिसूचना द्वारा निम्न को मिलाकर एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन कर सकती हैः–

CA Aseem Trivedi

1) एक व्यक्ति जो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा था इसका अध्यक्ष होगा।
2) दो व्यक्तियों को उन व्यक्तियों के मध्य में से नियुक्त किया जायेगा जो एक पूर्ण अवधि के लिये काउंसिल के सदस्य थे तथा जो काउंसिल का वर्तमान सदस्य नहीं है।
3) दो सदस्य जिनकों कानून, अर्थशास्त्र, व्यापार वित्त अथवा लेखांकन के क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले तथा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के मध्य में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित किया जायेगा।

धारा 22A की उपधारा (2) के अनुसार अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य अंशकालीन सदस्य होगे।

गुणवत्ता पुनरीक्षण बोर्ड
[धारा 28A]

संशोधन 2006, द्वारा जोड़ी गई नई धारा, धारा 28A केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार देती है कि वह अधिसूचना द्वारा वह एक अध्यक्ष तथा 10 अन्य सदस्यों को मिलाकर एक गुणवत्ता पुनरीक्षण बोर्ड का गठन करें।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को कानून, अर्थशास्त्र, व्यापार, वित्त अथवा लेखांकन के क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले तथा व्यवहारिक अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों के मध्य मेंसे नियुक्त किया जायेगा।

बोर्ड के पॉच सदस्यों को काउंसिल द्वारा तथा अन्य पॉच सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित किया जायेगा।

धारा 28B के अनुसार बोर्ड जिन कार्यकलापों का निष्पादन करेगा वो निम्नानुसार हैः–

1) इंस्टीट्यूट के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में काउंसिल को सिफारिश करना।
2) इंस्टीट्यूट के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का पुनरीक्षण करना, अंकेक्षण सेवाओं को शामिल करते हुए।
3) इंस्टीट्यूट के सदस्यों को सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये मार्गदर्शन देना। तथा विभिन्न वैधानिक व अन्य नियामक आवश्यकताओं के लिये अवलंबन प्रदान करना।

अनुशासनात्मक प्रक्रिया
चरण – 1

शिकायत/सूचना के प्राप्त होने परः–

1) फॉर्म नं. I में (नियम – 3) के अनुसार शिकायत प्राप्त होने पर निर्धारित फीस (नियम – 4) सहित अथवा सूचना (नियम – 7) प्राप्त होने पर। बशर्ते सूचना शिकायत बेनामी नहीं होना चाहिये।
2) शिकायत का पंजीकरण (नियम – 5)
3) यदि उचित शिकायत प्राप्त की जाती है तो शिकायत सर्वप्रथम DD द्वारा जॉची जायेगी। प्राप्त शिकायत को एक यूनिक नं. दिया जाता है।
   (i) यदि शिकायत पूर्व में प्राप्त शिकायत से मिलती – जुलती होती है तो प्राप्त शिकायत को उसी शिकायत के साथ मिला दिया जाता है।
   (ii) यदि शिकायत, पूर्व में प्राप्त ऐसी शिकायत से मेल खाती है जिस पर निर्णय दिया जा चुका है तो वह समापन के लिये BDO का आगे की ओर प्रेषित कर दी जाती है।
4) यदि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत को वापस लेने के लिये आवेदन किया जाता है। (नियम–5)

CA Aseem Trivedi

(i) यदि वाद BOD या DC के समक्ष लंबित है तो यह BOD या DC के निर्णय पर निर्भर है कि वे शिकायत वापस लेने की अनुमति दें या न दें।

(ii) यदि शिकायत DD के पास पंजीकृत होना बाकी है तो यह BOD के निर्णय पर निर्भर है कि वह शिकायत वापस लेने की अनुमति दे या न दे।

5) शिकायत का पंजीकरण करने के पश्चात् 60 दिनों के भीतर Office of DD शिकायत कर्ता द्वारा वर्णित कृत्य अथवा चुक/भूल के विवरण को फर्म के साझेदारों और सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से फॉरवर्ड किया जाता है। तथा यह आवश्यक बनाता है कि साझेदार अथवा सदस्य 21 दिनों के भीतर (अथवा DD द्वारा अतिरिक्त समय की अनुमति दी जा सकती है जो 30 दिनों से अधिक नहीं हो सकती) अपने बचाव में कोई विवरण तथा शिकायत की प्रतिलिपि जमा करें।

6) बचाव में विवरण प्राप्त होने पर DD विवरण की एक प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को भेजेगी तथा यह जरूरी है कि वह 21 दिनों के भीतर (जिसे 30 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है यदि DD अनुमति दें) अपना प्रत्युत्तर दे।

7) यदि शिकायतकर्ता तथा प्रतिवादी समय पर उत्तर नहीं देते है तो DD अपने विवेक पर अतिरिक्त कार्यवाही कर सकता है।

चरण – 2

यदि एक सदस्य प्रथम अनुसूची में वर्णित किसी पेशेवर अथवा अन्य दुर्व्यवहार का दोषी है। तो निदेशक अनुशासन (DD) उस मामलें को अनुशासन बोर्ड (BOD) के सामने रखेगा।	यदि एक सदस्य द्वितीय अनुसूची अथवा दोनों अनुसूचियों में वर्णित पेशेवर अथवा अन्य दुर्व्यवहार का दोषी है तो निदेशक उस मामलें को अनुशासन समिति (DC) के सम्मुख रखेगा।

चरण – 3

जहॉ पर निदेशक अनुशासन की यह राय है कि एक सदस्य प्रथम अनुसूची में वर्णित पेशेवर अथवा अन्य दुर्व्यवहार का दोषी है, तो वह सदस्य को उसके विरूद्ध कोई भी आदेश पारित करने के पहले उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा तत्पश्चात् वह निम्न में से कोई एक अथवा अधिक कार्यवाही कर सकता है:– 1) सदस्य को सकती है। 2) 3 माह तक के लिये सदस्य का नाम रजिस्टर में से हटा सकती है। 3) इतना जुर्माना लगा सकती है जितना वह उचित समझे (जो 1,00,000 रू. तक हो सकता है।)	जहॉ पर निदेशक अनुशासन की यह राय है कि एक सदस्य द्वितीय अनुसूची अथवा दोनों अनुसूचियों में वर्णित पेशेवर अथवा अन्य दुराचरण का दोषी है तो वह सदस्य को उसके विरूद्ध कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान करेगा तत्पश्चात् निम्न में से कोई एक अथवा अधिक कार्यवाही कर सकता है:– 1) सदस्य को सकती है। 2) स्थायी रूप से अथवा उस अवधि तक के लिये सदस्य का नाम रजिस्टर में से हटा सकती है जितनी वह उचित समझें 3) उतना जुर्माना लगा सकती है। जितना वह उचित समझे जो 5,00,000 रू. तक का हो सकता है।

<u>सदस्य द्वारा अपील :–</u>

संस्था का कोई भी सदस्य जो स्वंय पर निदेशक समिति अथवा अनुशासन बोर्ड द्वारा धारा 21A की उपधारा (3) में अथवा धारा 21B की उपधारा (3) में संदर्भित जुर्माने से असंतुष्ट है तो वह आदेश मिलने से 90 दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपील कर सकता है।

<u>निदेशक अनुशासन द्वारा अपील :–</u>

CA Aseem Trivedi

यदि काउंसिल द्वारा अनुमति प्राप्त हो तो निदेशक अनुशासन 90 दिनों के भीतर अनुशासन बोर्ड तथा अनुशासन समिति के द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध प्राधिकरण को अपील कर सकती है।

विलंब के लिये क्षमा करना :–

प्राधिकरण ऐसी अपील पर भी विचार कर सकता है जो उपरोक्त 90 दिनों की अवधि के पश्चात् प्राप्त हुई है। यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि उचित समयावधि में अपील दर्ज न कराने के पर्याप्त कारण हो।

अपीलीय प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही :–

प्राधिकरण किसी भी मामलें के रिकॉर्डस मॅगवाने के पश्चात् तथा धारा 21A की उपधारा (3) तथा धारा 21B की उपधारा (3) के अंतर्गत अनुशासन बोर्ड तथा अनुशासन समिति द्वारा दिये गये आदेश की समीक्षा कर सकती है तथा :–

1. आदेश की पुष्टि, संशोधन अथवा अस्वीकार कर सकती है।
2. जुर्माना लगा सकती है अथवा हटा सकती है तथा आदेश द्वारा जुर्माने को कम कर सकती है अथवा बढ़ा सकती है।
3. अनुशासन बोर्ड तथा अनुशासन समिति को मामलें को ऐसी अतिरिक्त पूछताछ/ जॉच पड़ताल के लिये प्रेषित कर सकता है जैसा वह मामलें की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त समझे।
4. अन्य ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

अनुशासनात्मक प्रक्रिया से संबंधित कुछ अन्य मुद्दे :–

क्या यह संभव है कि अनुशासन निदेशक के समक्ष किसी सदस्य के विरूद्ध की गई शिकायत को वापस लिया जा सके ?

जहॉ शिकायतकर्ता शिकायत को वापस ले लेता है तो निदेशक (अनुशासन) इस प्रकार की शिकायत वापसी को अनुशासन बोर्ड अथवा अनुशासन समिति के सामने रखता है (जैसा भी मामला हो)

तथा यदि उक्त बोर्ड अथवा समिति का मत है कि परिस्थितियॉ ऐसी है, तो वह किसी भी चरण पर वापसी की अनुमति दे सकती है।

यदि निदेशक (अनुशासन) का यह मत है कि सदस्य के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्टया मत नहीं है तो क्या वह मामलें को बंद करने का निर्णय ले सकता है ?

निदेशक (अनुशासन) सभी सूचनाओं तथा शिकायतों को अनुशासन बोर्ड के सामने रखेगा। जहॉ उसका विचार है कि कोई प्रथम दृष्टया (Prima facie) मामला नहीं है तथा यदि अनुशासन बोर्ड, निदेशक (अनुशासन) की राय से सहमत है तो वह मामलें को बंद कर सकता है अथवा यदि सहमत नहीं है तो निदेशक (अनुशासन) को सलाह दे सकता है कि मामलें की आगे जॉच करें।

अधिनियम द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों को दिये गये अधिकारों पर विचार विमर्श कीजिये :–

इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पूछताछ/ जॉच पड़ताल के उद्देश्य हेतू अधिकरण, अनुशासन समिति, अनुशासन बोर्ड तथा निदेशक (अनुशासन) निम्नांकित मामलों के संबंध वही अधिकार प्राप्त होंगे जो Code of civil procedure 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय में दिये गये है।

1. किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना भेजना तथा उस पर दबाव डालना।
2. किसी दस्तावेज की खोज अथवा उसका तथा।
3. शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।

क्या एक भूतपूर्व सदस्य के विरूद्ध जॉच पड़ताल प्रारंभ की जा सकती है ?

CA Aseem Trivedi

इस अधिनियम के अनुसार धारा 21, 21A, 21B, 21C तथा 22 के उद्देश्य हेतू

''इंस्टीट्यूट के सदस्य'' में शामिल है एक व्यक्ति जो वर्णित दुर्व्यवहार की तारीख को इंस्टीट्यूट का सदस्य है भले ही जॉच–पड़ताल के समय उसे सदस्यता से हटा दिया गया हो।

Poser: 06 क्या यह आवश्यक है कि केवल निदेशक अनुशासन को ही शिकायत की जा सकती है

Hint: हॉ, जो कि निश्चित फॉर्म में भी हो।

Poser: 07 क्या निदेशक अनुशासक द्वारा फार्म को अस्वीकृत कर सकता है यदि उसे शिकायतकर्ता द्वारा अधूरा भरा जाये ?

Hint: नहीं, निदेशक अनुशासक शिकायतकर्ता को निर्धारित समय में गलती सुधारने को कहेगा।

Poser: 08 क्या यह आवश्यक है कि निदेशक अनुशासक को की गई शिकायत में साक्ष्यों को जोड़ा जायें ?

Hint: हॉ, निर्धारित किये गये फार्म में शिकायतकर्ता का समर्थन करने वाले साक्ष्यों के लिये एक कॉलम होता है।

Poser: 09 मि. YM जो कि एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार है ने तर्क दिया कि DD उसके विरूद्ध कोई पूछताछ केवल इस आधार पर प्रारंभ नहीं कर सकता।

Poser: 10 मि. X ने CTRC जिसके वह खजांची थे के कोष का दुरूपयोग करने के बाद अपनी सदस्यता को सरेंडर कर दिया। मि. X ने तर्क दिया कि उपरोक्त आधार निदेशन अनुशासन उनके विरूद्ध काई कार्यवाही नहीं कर सकती क्योंकि अ बवह संस्था के सदस्य नहीं है।

Hint: एक सदस्य के दुर्व्यवहार से संबंधित सभी जॉच–पड़ताल के प्रावधान सदस्य के CA के रूप में रोक लगाने के बाद भी प्रभावी होगे।

Poser: 11 क्या अनुशासन मंडल एक सदस्य के नाम को सदस्यों के रजिस्टर में से हटाने का निर्णय ले सकता है ?

Hint: नहीं, बोर्ड अधिकतम 3 माह के लिये सदस्यों के नाम को हटा सकता है।

Topic – 3

दुर्व्यवहार

सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के अंतर्गत पेशेवर तथा अन्य दुर्व्यवहार से आप क्या समझते है ?

धारा 22 के अनुसार ''पेशेवर तथा अन्य दुर्व्यवहार'' में शामिल है कोई कार्यवाही अथवा भूल जिनका अधिनियम की किसी अनुसूची में प्रावधान किया गया है।

प्रंतु इस धारा का उद्देश्य किसी भी अन्य परिस्थिति के अंतर्गत इंस्टीट्यूट के किसी भी सदस्य के व्यवहार की जॉच–पड़ताल करने हेतु धारा 21(1) के अंतर्गत निदेशक (अनुशासन) पर डाली गयी जिम्मेदारी अथवा दिये गये अधिकारों को किसी भी तरीके से सीमित करना अथवा संक्षिप्त करना नहीं है।

अधिनियम में संशोधन के पूर्व केवल पेशेवर दुर्व्यवहार को ही कार्यवाही तथा भूल के रूप में अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया था।

संशोधित अधिनियम 2006 द्वारा मद अन्य दुर्व्यवहार को प्रथम अनुसूची के भाग IV में विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है।

अतः हम कह सकते है कि सनदी लेखाकार अधिनियम की अनुसूची के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही तथा भुल को पेशेवर तथा अन्य दुर्व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है।

अधिनियम की अनुसूची

अनुसूची	भाग	विवरण	दुर्व्यवहार की प्रकृति	वाक्यांश
प्रथम	I	प्रैक्टिस में सदस्य का दुर्व्यवहार	पेशेवर	12
	II	सेवा में सदस्य का दुर्व्यवहार	पेशेवर	2

CA Aseem Trivedi

	III	सामान्यतः इंस्टीट्यूट के सदस्यों के संबंध में पेशेवर दुर्व्यवहार से डील करता है।	पेशेवर	3
	IV	सामान्यतः इंस्टीट्यूट के सदस्यों के संबंध में अन्य दुर्व्यवहार से डील करता है।	अन्य	2
द्वितीय		प्रैक्टिस में सदस्य का दुर्व्यवहार	पेशेवर	10
		सेवा में सदस्य का दुर्व्यवहार	पेशेवर	4
		सामान्यतः इंस्टीट्यूट के सदस्य के संबंध में अन्य दुर्व्यवहार	अन्य	1

प्रथम अनुसूची

धारा 21(3), 21A(3) तथा 22

प्रैक्टिस में सनदी लेखाकार के संबंध में पेशेवर दुर्व्यवहार एक चार्टड लेखाकार को पेशेवर दुर्व्यवहार का दोषी माना जायेगा यदि वह –

वाक्यांश :– 1

किसी व्यक्ति को एक सनदी लेखाकार के रूप में अपने नाम में प्रैक्टिस की आज्ञा देता है। जब तक कि वह व्यक्ति भी प्रैक्टिस में सनदी लेखाकार ना हो तथा उसके साथ साझेदारी अथवा रोजगार में ना हो।

यदि कोई व्यक्ति एक गैर–सदस्य को अपने नाम में प्रैक्टिस करने की अनुमति देता है तो उसे पेशेवर दुर्व्यवहार का दोषी माना जायेगा।

लेकिन वह ऐसा कर सकता है यदि वह अन्य व्यक्ति प्रैक्टिस में चार्टड लेखाकार है अथवा उसके साथ साझेदारी में अथवा रोजगार में है।

उपरोक्त वाक्यांश जनता को प्रैक्टिस करने वाले गैर–अर्हता प्राप्त चार्टड लेखाकार से बचाने के लिये बताया गया ?

वाक्यांश :– 2

यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में अथवा भारत के बाहर अपने पेशेवर व्यवसाय की फीस अथवा लाभ का कोई भी भाग कमीशन या दलाली के रूप में निम्नांकित व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करता है अथवा भुगतान करने के लिये सहमत होता है।

1. इंस्टीट्यूट का एक सदस्य अथवा।
2. एक साझेदार अथवा।
3. एक सेवानिवृत्त साझेदार अथवा।
4. मृतक साझेदार का वैधानिक प्रतिनिधि अथवा।
5. किसी अन्य पेशेवर संस्था का एक सदस्य अथवा।
6. कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जो किसी पेशेवर सेवा को देने के लिये निर्धारित योग्यता रखता है।

स्पष्टीकरण :–

शब्द ''साझेदार'' में शामिल है एक व्यक्ति जिसके साथ प्रैक्टिस में चार्टड लेखाकार ने साझेदारी की है जो कि इस भाग के मद (4) के उल्लंघन में नहीं है।

संशोधन के पूर्व अधिनियम द्वारा अंतिम दो बिदुंओ में उल्लेखित व्यक्तियों के साथ भागीदारी की स्वीकृति नहीं दी गई थी।

एक मृतक साझेदार का वैधानिक प्रतिनिधि लाभ में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी केवल तभी होगा जब साझेदारी संलेख में यह प्रावधान हो कि साझेदार की मृत्यु पर उसका वैधानिक प्रतिनिधि एक निश्चित अवधि के लिये ऐसा भुगतान फीस अथवा अन्यथा तरीके से प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

CA Aseem Trivedi

2006 के अधिनियम संख्या 9 के द्वारा चार्टड लेखाकार अधिनियम, 1949 में इस प्रावधान में परिवर्तन किया गया तथा भारत में अथवा भारत के बाहर समय–समय पर इस प्रकार की पेशेवर सेवा को प्रदान करने के उद्देश्य हेतू निर्धारित योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति अथवा किसी पेशेवर संस्था के सदस्यों के मध्य लाभ अथवा शुल्क को बॉटने की अनुमति दे दी गई।

नया संशोधन :–

वर्तमान में काउंसिल ने नियमन 53A प्रस्तावित किया है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि एक प्रैक्टिस में चार्टड लेखाकार अपनी पेशेवर फीस अथवा लाभ के निम्नांकित पेशेवर संस्था के सदस्यों के साथ बॉट सकता है।

Recently council has introduced a regulation 53A under which it had defined that a Chartered Accountant in practice can share his professional fee or profit with members of following professional bodies

(a) The Institute of Company Secretaries of India established under the Companies Act, 1980 (No. 56 of 1980);
(b) The Institute of Cost and Works Accountants of India established under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (No. 23 of 1959);
(c) Bar Council of India established under the Advocates Act, 1961 (No. 25 of 1961);
(d) The Indian Institute of Architects established under the Architects Act, 1972 (No. 20 of 1972);
(e) The Institute of Actuaries of India established under the Actuaries Act, 2006 (No. 35 of 2006);
(f) The membership of the professional bodies or institutions outside India whose qualifications relating to accountancy are recognized by the Council under sub-section (2) of section 29 shall also be taken into consideration for the purpose of Items (2) , (3) and (5) of the Part I of the First Schedule to the Act.

Further council had permitted a chartered accountant in practice to share fee with following **persons qualified in India, namely:-**

(i) Company Secretary within the meaning of the Company Secretaries Act, 1980;
(ii) Cost Accountant within the meaning of the Cost and Works Accountants Act, 1959;
(iii) Actuary within the meaning of the Actuaries Act, 2006;
(iv) Bachelor in Engineering from a University established by law or an Institution recognized by law;
(v) Bachelor in Technology from a University established by law or an institution recognized by law;
(vi) Bachelor in Architecture from a University established by law or an institution recognized by law;
(vii) Bachelor in Law from a University established by law or an institution recognized by law;
(viii) Master in Business Administration from Universities established by law or technical institutions recognized by All India Council for Technical Education.

जब एक Sole Propriter की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसकी विधवा फर्म का विक्रय कर, एक प्रैक्टिस में चार्टड लेखाकार जिसनें उस फर्म का क्रय किया है उसके साथ लाभ में हिस्सा प्राप्त कर सकती है ?

CA Aseem Trivedi

Sole Properiter की मृत्यु पर इंस्टीट्यूट द्वारा फर्म का नाम एक वर्ष के लिये अस्थायी रूप से अपने पास रख लिया जाता है ताकि मृतक साझेदार की विधवा फर्म की ख्याति का विक्रय करने में समर्थ हो सके।

एकांकी साझेदारी की दशा में – मृतक साझेदार की विधवा एकांकी साझेदारी व्यवसाय के क्रेता से लाभ का कोई हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकती।

लेकिन वह विधवा यदि विक्रय के अनुबंध में ख्याति की राशि निर्धारित की गई हो तो ऐसी ख्याति की राशि प्राप्त कर सकती है।

ऐसी ख्याति मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक किश्तों में प्राप्त की जा सकती है।

परंतु ऐसा भुगतान व्यापार के उत्तराधिकारी के साथ लाभ अथवा प्रतिशत के रूप में तय नहीं किया जा सकता।

Poser: 12 मि. MM गर्ग जो कि अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार है अपनी पेशेवर फीस का 20% भाग अपने बीमार साझेदार की विधवा को देते है। केवल मानवता के आधार पर।

Hint: न्यास में लेना चाहिये न कि मानवता के आधार पर (चार्टड लेखाकार अधिनियम के भाग I का वाक्यांश 2)

Poser: 13 साझेदारी विलेख के वाक्यांश के अनुसार बीमार साझेदार की विधवा प्रत्येक वर्ष लाभों में से भाग प्राप्त करेगी अगले 15 सालों तक।

Hint: दुर्व्यवहार नहीं है। (चार्टड लेखाकार अधिनियम की अनुसूची के भाग I का वाक्यांश 2)

Poser: 14 मि. A, मि. B की मृत्यु के पश्चात् उनका प्रोपराइटर फर्म खरीदते है तथा अपनी कुल पेशेवर फीस का 20% भाग मि. B को क्रय प्रतिफल 3,25,000 रू. के अलावा ख्याति के रूप में देने को सहमत होते है।

Hint: दुर्व्यवहार (same)

Poser: 15 मि. B अपने द्वारा प्राप्त की जाने वाली फीस का 50% एक ऐसे व्यक्ति को कार्यालय भत्ते के नाम पर देंगे जो चार्टड लेखाकार नहीं है।

Hint: दुर्व्यवहार (same)

Poser: 16 मि. A टाटा फायनेंस से ऑफिस के निर्माण के लिये ऋण प्राप्त करते है तथा 2% की दर से (वाणिज्यिक दर 12% है) तथा सकल पेशेवर प्राप्तियों का 15% भुगतान तब तक करने के लिये सहमत होते है जब तक कि ऋण का पुर्नभुगतान नहीं हो जाता है।

Poser: 17 मि. A जो एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार है तथा मि. B जो कि एक वकील है दोनों एक दूसरे द्वारा एक दूसरे के पास भेजे जाने वाले नियोक्ताओं से प्राप्त होने वाली फीस का 12% एक दूसरे को देने के लिये सहमत होते है। प्रत्येक वर्ष के अंत में खाते सेटल किये जाते है। एक वर्ष के बाद मि. A कोई भी राशि प्राप्त करने अथवा भुगतान करने से मना कर देते है इस आधार पर कि यह एक पेशेवर दुर्व्यवहार का निर्माण है तथा वह दोनों पारस्परिक सहमति से अनुबंध को समाप्त करते है।

Hint: नये संशोधनों के अनुसार विशिष्ट व्यक्ति के पास बंटवारा स्वीकृत है इसलिये यह दुर्व्यवहार नहीं है।

Poser: 18 मि. X जो कि एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार है मि. Y एक अन्य चार्टड लेखाकार जो कि IDBI की मुंबई शाखा के समस्त कर्मचारियों की IT Returns को फाईल करने हेतु शाखा प्रबंधक है के साथ एक साझेदारी करते है।

Hint: दुर्व्यवहार (same) प्रथम अनुसूची के भाग 1 के वाक्यांश 4 को भी ध्यान में रखना।

एक चार्टड एकाउंटेट ने एक शिकायतकर्ता को कार्यालय भत्ते की नामावली के अंतर्गत उसके द्वारा प्राप्त अंकेक्षण शुल्क का 50% दिया। क्या वह पेशेवर दुर्व्यवहार का दोषी है ?

CA Aseem Trivedi

(D.S. Sadri vs B.M. Pithewala/ Council's Delision/ 1974)

वाक्यांश 3 :–

यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति के पेशेगत कार्य के लाभ में से कोई हिस्सा प्राप्त करता अथवा प्राप्त करने के लिये सहमत होता है जो इंस्टीट्यूट का सदस्य नहीं है।

इसके अलावा वह वाक्यांश – 2 में बताये गये व्यक्तियों की सूची वाले व्यक्तियों के पेशेवर कार्य के लाभ में से भी कोई कमीशन या दलाली प्राप्त करता है या अन्य किसी भी तरीके से भाग प्राप्त करता है तो भी वह पेशेगत दुराचरण का दोषी माना जायेगा।

वह वाक्यांश – 2 में केवल ऐसे व्यक्ति के साथ हिस्सा प्राप्त कर सकता है जो इंस्टीट्यूट का सदस्य है।

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार :

1. इंस्टीट्यूट के एक सदस्य, अथवा।
2. किसी अन्य पेशेवर संस्था के सदस्य, अथवा।
3. एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास वह योग्यता है जिसे काउंसिल अथवा सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, अथवा।
4. सरकार के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से कमीशन अथवा लाभ में हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता।

प्रारंभ में एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार एक गैर सदस्य के पेशगत व्यवसाय में से कोई कमीशन/दलाली अथवा लाभ में से कोई हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता था।

परंतु वर्तमान संशोधन द्वारा उन्हें अन्य पेशेगत संस्थाओं के सदस्यों के साथ फीस अथवा लाभ को बॉटने की अनुमति दी गई है।

इसके अतिरिक्त इन्हें इस बात की भी स्वीकृति दी गई है कि वह ऐसे व्यक्तियों के साथ भी हिस्सा बॉट सकते है, जिनके पास समय–समय पर भारत में अथवा भारत के बाहर निर्धारित योग्यताऍ है।

इस संशोधन का मुख्य लाभ यह होगा कि एक चार्टड लेखाकार एक प्रतियोगी तरीके से भारत में एक बहु–अनुशासनात्मक फर्म की स्थापना कर सकता है तथा अनेक पेशेवर सेवाऍ प्रस्तावित कर सकता है।

अब हम देख सकते है कि –

क्लांइट के लिए चार्टड लेखाकार का ''एक स्टॉफ ऑफिस है''।

वाक्यांश 4 :–

एक प्रैक्टिस में चार्टड लेखाकार पेशेगत दुराचरण का दोषी माना जाना जायेगा यदि –

वह भारत में अथवा भारत के बाहर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी करता है जो एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार नहीं है या वह किसी पेशेवर संस्था का सदस्य नहीं है जो निर्धारित योग्यता रखता है अथवा वह धारा 4(1)(v) के अंतर्गत पंजीयक के रूप में हकदार होने वाला एक निवासी तो है परंतु विदेश में रहता है अथवा जिसकी योग्यता को केन्द्रीय सरकार अथवा काउंसिल ने ऐसी साझेदारी के लिये अनुमति दी है।

संशोधन के पूर्व other disciplines के साथ साझेदारी प्रतिबंधित थी परंतु बहु अनुशासनात्मक फर्म को प्रोत्साहित करने हेतु तथा आगे आने वाली धारणा limited liabilities partnership (सीमित दायित्व साझेदारी के लिये ICAI ने इस वाक्यांश को उचित रूप से संशोधित किया है।)

वर्तमान में काउंसिल ने नियमन 53B को प्रस्तावित किया है जिसमें यह परिभाषित किया गया है कि अधिनियम प्रथम की अनुसूची के भाग I की मद (4) के अंतर्गत साझेदारी में सी प्रवेश करने के उद्देश्य के लिये एक व्यक्ति निम्नांकित में से किसी एक पेशेगत संस्था का सदस्य होना चाहिये।

CA Aseem Trivedi

1. कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सचिव ऑफ इंडिया का सदस्य।
2. लागत लेखाकार सदस्य, cost & works accountants अधिनियम 1959 के अंतर्गत स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ cost & work accountants of India.
3. वकील सदस्य, एडव्होकेट अधिनियम 1961 के अंतर्गत स्थापित बार काउंसिल ऑफ इंडिया।
4. इंजीनियर सदस्य, विधान द्वारा स्थापित, इंजीनियर्स संस्था अथवा विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग अथवा विधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्थान।
5. आर्किटेक्ट सदस्य, आर्किटेक्ट अधिनियम 1972 के अंतर्गत स्थापित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट।
6. एक्टयूर्स सदस्य, एक्टयूरी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टयूरीज ऑफ इंडिया।
7. भारत के बाहर पेशेगत संस्थाएँ अथवा संस्थान जिनकी लेखांकन संबंधी योग्यताओं को काउंसिल द्वारा अधिनियम की धारा 29 (2) के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है।

Poser: 19 मि. A जो कि एक चार्टड लेखाकार है तथा अभ्यास का प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके है पिछले 4 वर्षो से कोई भी पेशेवर कार्य प्राप्त करने में असफल रहे है। आखिरकार अपने भाई के साथ एक साझेदारी करते है जो कि MBA है तथा प्रबंध सलाहकार सेवायें देते है।

Hint: दुर्व्यवहार (प्रथम अनुसूची के भाग 1 का वाक्यांश 4)

Poser: 20 मि. B जो एक नये चार्टड लेखाकार है ब्राजील की एक चार्टड लेखाकार फर्म के साथ एक भारत में तथा भारत के बाहर के लाभ अथवा हानि के लिये एक साझेदारी करते है

Hint: Same

Poser: 21

Poser: 22 मि. X जो कि एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार है ICAI तथा ICWAI के सदस्य मि. Y के साथ साझेदारी करते है तथा मि. Y के पास ICWAI का अभ्यास का प्रमाणपत्र भी है।

Hint: दुर्व्यवहार नहीं है। (53B नियमन द्वारा स्वीकृत)

<u>वाक्यांश 5 :–</u>

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को पेशेगत दुराचरण का दोषी माना जायेगा यदि :–

वह अपने पेशेगत व्यवसाय को चलाने के लिये किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा प्राप्त करता है अथवा मदद लेता है जो न तो उसका कर्मचारी है, न ही उसका साझेदार है अथवा न ही चार्टड लेखाकार के रूप में सभी के सामने पहचाना जाता है।

प्रदान किया गया है कि इस भाग के वाक्यांश 2, 3, 4 के व्यक्तियों के अतिरिक्त एक चार्टड लेखाकार किसी भी अन्य व्यक्ति से अपने व्यवसाय को चलाने के लिये उससे सेवाएँ प्राप्त नहीं कर सकता है।

[चार्टड लेखाकार (संशोधन) अधिनियम 2006 द्वारा संशोधित] चार्टड लेखाकार (संशोधन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के वाक्यांश 5 के अनुसार किसी पेशेवर व्यवसाय को कुछ गैर–सदस्य वर्ग के द्वारा सुरक्षित करने की स्वीकृति दी गई है जिन्हें समय–समय पर विनियमन में निर्दिष्ट किया गया है।

CA Aseem Trivedi

यह ध्यान देने योग्य है कि संशोधन 2006 द्वारा यह स्वीकृति दी गई है कि एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार अपने–अपने व्यवसाय को चलाने के लिये अपने कर्मचारी की सहायता प्राप्त कर सकता है।

प्रारंभ में इसकी अनुमति नहीं थी। पेशेवर विश्व में इस संबंध मे अभी दिशा–निर्देश आना बाकी है।

Poser: 23

Poser: 24 मि. MD जो कि एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार है IDBI की औघोगिक वित्तीय शाखा को टेबल तथा कुर्सी का प्रबंध करवाते है तथा प्रबंधक अपनी सभी योजनाओं को उस लाभ की सहभागिता के आधार पर देता है जैसा कि उनके द्वारा परस्पर निर्णय लिया जाये।

Poser: 25 मि. AP जो कि एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार है बैंक ऑफ बड़ौदा की औघोगिक वित्तीय शाखा को एक केबिन आबंटित कराते है तथा प्रबंधक अपनी सभी परियोजनाओं को साप्ताहिक आधार पर साख अनुमोदन के लिये देना है। प्रधान कार्यालय द्वारा प्रति आवेदन पर निश्चित की गई फीस 3,000 रू. है।

Hint: यह दुर्व्यवहार नहीं है यह आउटर्सोसिंग है।

<u>वाक्यांश 6 :–</u>

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार पेशेगत दुराचरण का दोषी माना जायेगा यदि –

वह परिपत्र, विज्ञापन, व्यक्तिगत संदेश अथवा साक्षात्कार द्वारा या किसी अन्य तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विनती करके ग्राहक बनाता है अथवा व्यवसायिक कार्य प्राप्त करता है।

बशर्ते कि इसमें कुछ भी ऐसा शामिल नहीं है जिसे रोका जाये अथवा प्रतिबंधित माना जाये –

1. एक चार्टड लेखाकार को किसी अन्य चार्टड लेखाकार से जो कि प्रैक्टिस में है से अपने पेशेवर कार्य के लिये आवेदन करना, अथवा प्रार्थना करना अथवा आमंत्रित करना।
2. समय–समय पर पेशेवर सेवाओं अथवा संस्था के विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा जारी टेंडर तथा पूछताछ का सदस्य द्वारा जवाब देना तथा पेशेवर कार्य को प्राप्त करना।

कार्य मांगने के कुछ स्वरूप जिन्हें काउंसिल द्वारा प्रतिबंधित किया गया है वो निम्नानुसार है –

<u>1. विज्ञापन :–</u>

सभी प्रकार के विज्ञापन निम्नांकित को छोड़कर –

A. एक सदस्य फर्म के विघटन में साझेदारी में बदलाव अथवा प्रैक्टिस क`पते में कोई परिवर्तन अथवा टेलीफोन नं. में परिवर्तन से संबंधित कोई विज्ञापन,

i. इस प्रकार की घोषणा तथ्यों के Bare statement तक सीमित होना चाहिये, तथा।

ii. समाचार पत्र और पत्रिकाओं के विवरण क्षेत्र तथा प्रविवरणों की संख्या पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

B. इंस्टीट्यूट के न्यूज लेटर/ जर्नल में निम्नलिखित के लिये सूचना देने के इरादे से वर्गीकृत विज्ञापन,

i. कार्यभार के आधार पर पेशेवर कार्य को बॉटना,

ii. एक लेखांकन प्रकृति का वेतनभोगी रोजगार के लिये अथवा साझेदारी करने के लिये।

बशर्ते इसमें केवल लेखांकन का नाम, पता एवं टेलीफोन नं., फैक्स नं. तथा ई–मेल पता हो।

<u>2. अंकेक्षण तथा अन्य पेशेवर कार्य के आवंटन के लिये पेनल के लिये आवेदन :–</u>

जहॉ पर एक पैनल विद्यमान है (जिसे अंकेक्षण तथा अन्य कार्यो के आवंटन के लिये सरकारी विभागों, सरकारी कंपनियों/निगमों, न्यायालयों, सहकारी समितियों, बैंक तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है) और सदस्य को इस बात की जानकारी है तो वह संबंधित विभाग को अपना नाम पेनल में लिखने के लिये आवेदन कर सकता है।

CA Aseem Trivedi

यदि ऐसी संस्थाओं द्वारा जो ऐसे पेनल की देखरेख करती है पूछा जाता है तो उसे अपनी फीस कोट करने की अनुमति है।

3. दूरभाष प्राधिकरण अथवा निजी संस्था द्वारा प्रकाशित टेलीफोन निर्देशिका अथवा अन्य निर्देशिका में चार्टड लेखाकार द्वारा नाम अथवा फर्म के नाम का प्रकाशन :–

सामान्य निर्देशिका :–

इसमें नाम और दूरभाष नं. को असाधारण तरीके से नहीं दर्शाया जाना चाहिये।

निजी निर्देशिका :–

काउंसिल द्वारा ऐसी प्रविष्टियों के लिये अनुमति का निर्णय देना परंतु निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन –

1. प्रविष्टि ''चार्टड लेखाकार के खंड/श्रेणी में प्रस्तुत होनी चाहिये।
2. सदस्य/फर्म को उस शहर/कस्बे से संबंधित होना चाहिये जिसके संबंध में प्रकाशन किया जा रहा है।
3. प्रविष्टि अक्षरों के सामान्य टाईप में होना चाहिये। बोल्ड टाईप अथवा अक्षरों के असामान्य टाईप अथवा बॉक्स में प्रविष्टी की अनुमति नहीं है।
4. प्रविष्टियों का क्रम अक्षरों के अनुसार तथा तर्कपूर्ण होना चाहिये।
5. प्रविष्टि इस प्रकार से प्रस्तुत नहीं होना चाहिये जो प्रचार/विज्ञापन जैसी लगे।
6. प्रविष्टी को इस प्रकार से नहीं दिया जाना चाहिये जो इसे अन्य प्रविष्टियों से अधिक महत्व दें
7. यदि प्रविष्टी के लिये कोई भुगतान है तो उसे अनुचित नहीं होना चाहिये।
8. प्रविष्टियॉ प्रतिबंधित नहीं होना चाहिये तथा चार्टड लेखाकारों/फर्मो जो उस शहर/कस्बे में रहते है। जिसमें निर्देशिका का प्रकाशन किया जा रहा है के लिये खुली रहना चाहिये।

4. हैंडबिल जारी करना :–

एक सदस्य को कर कानून में परिवर्तन जैसे मामलों में अपने नियमित ग्राहकों के अतिरिक्त किसी भी अन्य सदस्य के मार्गदर्शन के लिये हैंडबिल का वितरण करना प्रतिबंधित है।

5. पुस्तकों अथवा लेखों का प्रकाशन :–

एक सदस्य को उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों अथवा लेखों में किसी चार्टड लेखाकार फर्म को साथ जुड़ाव का संकेत देने की अनुमति नहीं है।

6. घूमती जॉच पड़ताल (Roving enquirites) द्वारा पेशेवर कार्य को मॉगना :–

एक सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्तियों को पत्र लिखकर संबोधित कर अपने भावी क्लांइट बनाना प्रतिबंधित है जिन्हें वह नहीं जानता है।

7. प्रतिवेदन का क्षेत्र जिसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 225(3) में बनाने का अधिकार है :–

8. सार्वजनिक साक्षात्कार देना :–

किसी भी फोरम अथवा प्रेस अथवा सार्वजनिक साक्षात्कार में स्वयं के बारे में अथवा अपनी फर्म के बारे में विवरण देते हुये सदस्य को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि ये विज्ञापन नहीं है।

9. सदस्य तथा/अथवा फर्म जो बॉक्स संख्या को अंतर्गत विज्ञापन करते है :–

सदस्य तथा/अथवा फर्म द्वारा जो बॉक्स संख्या के अंतर्गत विज्ञापन द्वारा प्रार्थना कर पेशेवर कार्य मॉगना प्रतिबंधित है।

10. वेबसाइट :–

काउंसिल ने एक आभ्यासरत् चार्टड लेखाकार तथा फर्म द्वारा एक वेबसाइट का निर्माण करने के लिये एक मार्गदर्शिका का अनुमोदन किया है। यह मार्गदर्शिका निम्नानुसार है –

1. वह किसी भी फॉमेट के साथ किसी भी रंग में हो सकती है।

CA Aseem Trivedi

2. व्यक्तिगत सदस्यों को यह भी अनुमति है कि वह अपने व्यापारिक अथवा व्यक्तिगत नाम में वेबपेज रख सकता है।
3. वेबसाइट पुल मॉडल टेक्नॉलोजी में होना चाहिये न कि पूरा मॉडल टेक्नॉलोजी में।
4. वेबसाइट में शामिल कोई भी सूचना स्वयं के द्वारा अथवा ई–मेल के द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से वितरित नहीं होना चाहिये उसे केवल विशिष्ट ''पुल'' प्रार्थना के आधार पर ही होना चाहिये।
5. कोई परिपत्र अथवा अन्य कोई विज्ञापन वेबसाइट पर जारी नहीं करेगा।
6. सदस्य अपनी व्यवसायिक स्टेशनरी पर अपने वेबसाइट के पते का उल्लेख कर सकता है।
7. निम्नांकित सूचनाये केवल ''पुल'' प्रार्थना पर वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा सकती है :–

(i) प्रदान की जानी वाली सेवाओं की प्रकृति।
- व्यक्तिगत/साझेदारों का अनुभव
- कर्मचारियों का विवरण – व्यवसायिक, अन्य नाम, पद, अनुभव का क्षेत्र
- आर्टिकल क्लर्क की संख्या
- हैंडल किये गये कार्यभार की प्रकृति
- ग्राहकों का नाम तथा वसूल फीस को नहीं दिया जा सकता।

(ii) सदस्य वेबसाइट पर ''लोगो'' का उपयोग नहीं कर सकते।

(iii) सदस्य वेबसाइट पर लेख, पेशेवर सूचना, पेशेवर अघतन, बड़े महत्व के अन्य विषय अथवा व्यवसायिक हित को शामिल कर सकते है।

(iv) बुलेटिन बोर्ड को प्रदान किया जा सकता है।

(v) Chat Room प्रदान किया जा सकता है जो इंस्टीट्यूट के सदस्य, फर्म तथा अपने ग्राहकों के साथ चेटिंग करने की अनुमति देता है। गोपनीय प्रोटोकोल का भी ध्यान रखना होगा।

(vi) सदस्य/फर्म अपने क्लाइंट को ऑन लाईन सलाह दे सकते है जो सलाह के लिये विशिष्ट आग्रह करते है। चाहे यह मुफ्त हो अथवा भुगतान पर।

(vii) उचित सर्च इंजिन पर सूचीबद्ध होने की अनुमति है।

(viii) ICAI अपनी एकल इच्छा से अपने सदस्यों अथवा व्यक्तिगत चार्टड एकाउण्टेंट की फर्म द्वारा सृजित वेबसाइट का अनुमोदन कर सकते है।

(ix) वेबसाइट ICAI की उसकी क्षेत्रीय काउंसिल तथा शाखाओं की वेबसाइट तथा साथ में सरकार/सरकारी विभाग/विनियमन प्राधिकरण को भी लिंक प्रदान कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य वेबसाइट के बारे में सूचना अथवा लिंक की अनुमति नहीं है।

(x) वेबसाइट का पता जहॉ तक सम्भव हो व्यक्तिगत नाम/व्यापारिक नाम के नजदीक होना चाहिये।

(xi) वेबसाइट क`पते को तीस दिन के भीतर ICAI को सूचित कर देना चाहिये।

(xii) वेबसाइट को उस तिथि का वर्णन करना चाहिए जिसमें इसे अपडेट किया गया है, तथा सूचना ICAI के रिकॉर्ड की सूचना से ज्यादा अंतर (विचरण) नहीं होना चाहिए।

11. ग्रीटिंग कार्ड अथवा आमंत्रण पत्र :–

CA Aseem Trivedi

ग्रीटिंग कार्ड अथवा आमंत्रण पत्र में पेशेवर पद स्टेटस तथा एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार की योग्यताओं का समावेश नहीं होना चाहिए, परन्तु चार्टड लेखाकार की पद्वि तथा साथ ही फर्म के नाम का उपयोग निम्न पर किया जा सकता है।

1. ग्रीटिंग कार्ड।
2. शादियों के आमंत्रण पत्र, धार्मिक अवसर, कार्यालय भवन में परिवर्तन, सदस्य के ऑफिस के उद्घाटन के आमंत्रण पत्र पर।
3. टेलीफोन नम्बर के परिवर्तन पर – बशर्ते ऐसे ग्रीटिंग कार्ड और आमंत्रण पत्र केवल निम्न को भेजे गए हो।
    a. क्लाइंट
    b. रिश्तेदार
    c. सदस्यों के नजदीकी प्रियजनों को

12. वास्तविक पेशेगत कार्य :– एक चार्टड लेखाकार को वह मूल पेशेगत कार्य नहीं होना चाहिए जो कि आया है उस क्लांइट से जिससे उसका परिचय किसी अन्य चार्टड लेखाकार ने करवाया था। उसे यह स्पष्ट कर कर देना चाहिए कि वह इसे तभी स्वीकार करेगा जब यह उस अन्य चार्टड लेखाकार के द्वारा आया है जो सामान्यतया उसके पेशेगत कार्य को देखता है। एक चार्टड लेखाकार ICAI की जर्नल या न्यूज लेटर में कार्य के लिए विज्ञापन दे सकता है।

एक चार्टड एकाउण्टेंट को प्रथम अनुसूचि के वाक्यांश 5 तथा 6 के अर्न्तगत पेशेवर दुराचरण का दोषी माना जाएगा/जब वह विभिन्न आर्मी केन्टीन्स के अधिकारियों को स्वयं के बारे में तथा अपने अनुभव के बारे में, अंकेक्षण फीस वसूल करने के लिए विभिन्न पत्र लिखता है।

[Jethanand Sharda v. Deepak Mehta/Councils Decision]

एक चार्टड लेखाकार ने एक सहकारी समिति के सहायक पंजीयक/पंजीयक पश्चिम बंगाल सरकार को अंकेक्षण कार्य का आवंटन करने के लिए आवेदन करते हुए कई पत्र लिखे। जिसमें लिखा था कि यद्यपि उसकी फर्म अंकेक्षकों के पैनल में है फिर भी उसे कोई अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया गया तथा सदस्य ने उनसे प्रार्थना की वह इस विषय पर विचार करें। उसे पेशेवर दुराचरण का दोषी पाया गया।

(D.C. Pal/Council's Decisions)

Poser: 26 जैसे ही एयरटेल लि. ने टेलीफोन नंबर्स परिवर्तित किये अभ्यासरत् 25 लेखाकारों के एक समूह ने स्वयं की एक नई टेलीफोन डिक्शनरी का प्रकाशन किया तथा सभी नये नंबर अपने सभी नियोक्ताओं, दोस्तो, रिश्तेदारों तथा उन सभी व्यक्तियों को भेज दिये जो उनसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे।

Hint: दुर्व्यवहार

Poser: 27 A, ने इकॉनॉमिक्स टाईम्स के क्लासीफाईड में दिया ''एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को एक जीवन साथी चाहिये जो स्वयं भी एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार हो सकती है जो उम्रभर की साझेदारी करें'' Ms. A&Co. चार्टड लेखाकार।

Hint: दुर्व्यवहार विज्ञापन व्यक्ति के नाम पर दिया जाना चाहिये न कि फर्म के नाम पर इसलिये (वाक्यांश 6 same)

Poser: 28 A, ने चार्टड लेखाकार जरनल के क्लासीफाईड में दिया कि ''एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को एक साझेदार की आवश्यकता है जो स्वयं भी एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार होनी चाहिये।'' Ms. A&Co. चार्टड लेखाकार

CA Aseem Trivedi

Hint: ICAI जरनल में विज्ञापन दुर्व्यवहार नहीं है।

Poser: 29 मैसर्स G & N चार्टड लेखाकार ने अपने ऑफिस भवन में परिवर्तन किया तथा हिन्दुस्तान टाईम्स के पूरे पेज पर विज्ञापन दिया साथ ही भारत के बाहर उसका कोई क्लाइन्ट नहीं है।

Hint: दुर्व्यवहार, अप्रत्यक्ष सॉलिसिटेशन (चार्टड लेखाकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची भाग – 1 का वाक्यांश 6)

Poser: 30 मैसर्स G & M चार्टड लेखाकार ने अपना ऑफिस भवन परिवर्तित किया तथा हिन्दुस्तान टाईम्स के पूरे पेज पर एक विज्ञापन दिया क्योंकि उसके सारे व्यापारिक क्लाइन्ट भारत के बाहर स्थित है।

Hint: दुर्व्यवहार, अप्रत्यक्ष सॉलिसिटेशन (same)

Poser: 31 मि. एक्स ने बैंक ऑफ राजस्थान को एक पत्र लिखा तथा पूछा कि क्या उन्होंने उनकी शाखा के अंकेक्षण के लिए कोई पेनल आवंटित किया है तथा

Hint: दुर्व्यवहार, अप्रत्यक्ष सॉलिसिटेशन (same)

Poser: 32 आपका उत्तर क्या होगा यदि पत्र बैंक की विशिष्ट एक्वाइरी के प्रति उत्तर है।

Hint: दुर्व्यवहार नहीं है।

Poser: 33 Mr. Scam & Associate ने अपना नाम टेलीफोन डिक्शनरी में स्पारकिंग ब्लू तथा बॉल्ट आकार में शामिल किया।

Hint: दुर्व्यवहार (same)

Poser: 34 Mr. A जो कि एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार है ने Yellow Pages में अपना नाम एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार तथा एक टेक्स प्रेक्टिशनर दोनो श्रेणी के रूप में दिया।

Hint: दुर्व्यवहार, अप्रत्यक्ष सॉलिसिटेशन, केवल एक श्रेणी में नाम देने की स्वीकृति। (same)

Poser: 35 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार ने समाचार पत्र में पेशेवरों की नियुक्ति हेतु एक विज्ञापन दिया जो एक कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षण के लिए सक्षम हो।

Hint: (चार्टड लेखाकार की प्रथम अनुसूची के भाग – 1 के वाक्यांश 6 में) संशोधन के बाद दुर्व्यवहार नहीं है।

Poser: 36 Mr. B जो कि एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार है ने समाचार पत्र में ऐसे व्यक्तियों के प्रोफाइल को आमंत्रित करने के लिये विज्ञापन दिया जो प्रबंधकीय सलाहकार के संबंध में सेवाएं प्रदान करते है।

Hint: दुर्व्यवहार नहीं है।

Poser: 37 बजट 2003 के पश्चात् अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार मि. Y ने अपने पास के तथा पास के को कराधान में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन तथा रिजल्टटेन्ट कर नियोजन को सरिक्यूलेट किया।

CA Aseem Trivedi

Hint: दुर्व्यवहार, इन डायरेक्ट सॉलिसिटेशन। (same)

Poser: 38 टेलीविजन इन्टरव्यू के दौरान एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार ने इस संबंध में निर्दिष्ट प्रशन के उत्तर के रूप में अपने एसोसिएशन को उसकी फर्म के साथ उल्लेखित किया।

Hint: दुर्व्यवहार नहीं है, क्योंकि उसने पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है।

Poser: 39 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार ने पेशेवर काम की तलाश में समाचार पत्र में एक विज्ञापन दिया यद्यपि उसने अपने परिचय को नहीं दर्शाया। उत्तर प्राप्त करने के लिए केवल एक बॉक्स दिया।

Hint: दुर्व्यवहार। (same)

Poser: 40 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार ने सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा तथा कहा की यद्यपि उसका नाम पेनल में है फिर भी उसे कोई अंकेक्षण आवंटित नहीं किया गया तथा उसने प्रार्थना की कि तत्काल, कोई कार्यवाही की जाए।

Hint: पुछताछ दुर्व्यवहार अप्रत्यक्ष सॉलिसिटेशन। (same)

Poser: 41 चार्टड लेखाकार के एक सहायक ने जो कि अभ्यास में है एक कम्पनी को पत्र लिखा तथा प्रार्थना की कि उसे अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए।

Hint: दुर्व्यवहार। (same)

Poser: 42 प्रत्येक सदस्य चाहे वह अभ्यास में हो अथवा नहीं अपनी स्वयं की वेबसाइट बना सकते है।

Hint: हॉ

Poser: 43 मि. A एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार ने अपनी फर्म की वेबसाइट बनाई। वेबसाइट डिजाईनदार थी।

Hint: दुर्व्यवहार, परिषद् द्वारा इस संबंध में जारी की जारी समयसीमा के अनुसार पुरा मोड़ की स्वीकृति नहीं है।

Poser: 44 मि. B एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार ने एक वेबसाइट बनाई। वेबसाईट को ऐसे डिजाईन किया गया ताकि प्रत्येक विजीटर अपना E-mail ID लिखना है जो वेबसाईट में संग्रहीत हो जाता है तथा उसके पश्चात् प्रत्येक माह के अंत में फर्म का प्रोफाईल उस विजीटर को उसके E-mail ID पर भेज दिया जाता है।

Hint: दुर्व्यवहार (चार्टड लेखाकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग – 1 का वाक्यांश 6 तथा द्वितीय अनुसूची के भाग – II के वाक्यांश I) अप्रत्यक्ष सॉलिसिटेशन

Poser: 45 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार मि. A नें निम्नांकित नाम में एक वेबसाइट का निर्माण किया। www.Taxplannerscornen.com

Hint: दुर्व्यवहार, इस संबंध में परिषद् द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार नाम फर्म के नाम के स्वरूप होना चाहिये।

CA Aseem Trivedi

Poser: 46 Mr. A ने उपरोक्त वेबसाइट को बनाने के बाद प्रेस में एक विज्ञापन दिया कि www.Taxplannerscornen.com में कैसे कर नियोजन किया जाये।

Hint: दुर्व्यवहार (चार्टड लेखाकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची भाग 1 का वाक्यांश 6) अप्रत्यक्ष सॉलिसिटेशन।

Poser: 47 P लि. को प्रविवरण में निर्देशकों के इन्ट्रोडक्शन को शामिल किया गया। एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार मि. B के तथा एक अन्य कंपनी निदेशक के इन्ट्रोडक्शन से प्रकट होता है कि 58 वर्षीय मि. B, B & S चार्टड लेखाकार फर्म में एक वरिष्ट साझेदार है। तथा उन्हें कर संबंधी मामलों का बहुत अधिक अनुभव है तथा वह इसके विशेषज्ञ है।

Hint: दुर्व्यवहार, (same)

<u>वाक्यांश 7 :–</u>

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को पेशवर दुराचरण का दोषी माना जाएगा यदि –

व्ह अपनी व्यावसायिक उपलब्धियों अथवा सेवाओं का विज्ञापन करता है अथवा किसी भी व्यावसायिक प्रपत्र, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड एवं साईन बोर्ड चार्टड लेखाकार के अतिरिक्त किसी अन्य पद्धति का उपयोग करता है जब तक यह भारत में विधान द्वारा स्थापित विश्व विद्यालय की डिग्री न हो अथवा उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता न प्रदान की गई हो। अथवा एक शीर्षक जो C.A. इंस्टीट्यूट की सदस्यता को दिखाता हो अथवा कोई अन्य संस्था जिसे केन्द्रिय सरकार द्वारा अथवा काउंसिल द्वारा मान्यता प्रदान की गई है अथवा की जा सकती है।

प्रदान किया गया है कि एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार एक लेख में काउंसिल द्वारा समय–समय पर जारी की गई मार्गदर्शिका के तहत् अपनी फर्म का विवरण दिखाकर अथवा उसकी फर्म अथवा उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा को दिखाकर विज्ञापन कर सकता है।

1. सदस्य को अपने व्यावसायिक प्रपत्र पर यह नहीं लिखना चाहिए की वह आयकर का विशेषज्ञ है अथवा वह एक लागत सलाहकार अथवा प्रबंध सलाहकार है अथवा एक कम्पनी सचिव है अथवा सेवा कर विशेषज्ञ है इत्यादि।
2. सदस्य द्वारा अपने लेटर हेड तथा तथा अन्य व्यावसायिक प्रपत्रों पर अभ्यास की सेटिंग अप दिनांक तथा फर्म की स्थापना की दिनांक को दर्शाना प्रतिबंधित है।
3. एक सदस्य चार्टड लेखाकार के अतिरिक्त किसी अन्य पद्धति जैसे MP, MLA अथवा MLC का उपयोग नहीं कर सकते। सदस्य बार काउंसिल की अनुमति के अधीन एक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर सकता है, परन्तु इस दशा में वह उन विषयों के संदर्भ में चार्टड लेखाकार की पद्धति का उपयोग नहीं कर सकता जिसमें वह एक वकील के रूप में प्रेक्टिस कर रहा है।
4. एक सदस्य अपने निवास स्थान पर चार्टड लेखाकार पद का नाम बोर्ड, लगा सकता है बशर्ते वह फर्म का नाम न हो यदि एक सदस्य का नाम एक कम्पनी

CA Asem Trivedi

द्वारा जिसमें वह निर्देशक है जारी किए गए प्रविवरण अथवा सार्वजनिक उद्घोषणाओं अथवा अन्य सार्वजनिक पत्र व्यवहारों में उसका नाम शामिल है तो सदस्य को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि ऐसा प्रविवरण अथवा सार्वजनिक पत्र व्यवहार उसकी पेशेवर उपलब्धियों का विज्ञापन न करता हो तथा प्रत्यक्ष रूप से क्लाईंट से पेशेवर कार्य के लिए प्रार्थना न करता हो।

5. सदस्य/फर्म/क्लर्क की परीक्षा में सफलता बिना किसी अवांछनीय प्रसिद्धि के बतायी जा सकती है।
6. स्थानीय/राष्ट्रीय महत्व कि स्थिति की नियुक्ति के लिए विज्ञापन की अनुमति है। वह ICAI की सदस्यता का उल्लेख कर सकते है, किन्तु फर्म का नहीं।
7. लोगोज, एक सदस्य तथा/अथवा फर्म जो प्रेक्टिस में है उनके द्वारा किसी भी लोगो/मोनोग्राम अथवा मिडिया का उपयोग करना प्रतिबंधित है।
8. विजिटिंग कार्ड पर फोटो सदस्य को यह अनुमति नहीं है कि वह विजिंटिग कार्ड पर अपने फोटो का उपयोग करें। एक चार्टड लेखाकार ने अपने पेशेवर प्रपत्र पर यह शामिल किया की उसके पास को–ओपरेटिव बैंक का अनुभव है, क्योंकि वह वहॉ पर एक जनरल मैनेजर था। साथ ही उसने स्वयं को प्रेसिडेन्ट तथा एक संस्था के एग्जीकेटिव सदस्य के रूप में अभिव्यक्त किया। उसे प्रथम अनुसूची के भाग – 1 के वाक्यांश 7 के अंतर्गत पेशेवर दुराचरण का दोषी माना गया।

(K Bhattacharjee v/s B.K. Chakrabarty (1996)

Poser: 48 एक चार्टड लेखाकार के विजीटिंग कार्ड में यह उल्लेखित है कि वह कर नियोजन में विशेषज्ञ है।

Hint: पेशेवर उपलिब्ध का विज्ञापन दुर्व्यवहार है। (चार्टड लेखाकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची भाग I का वाक्यांश 7)

Poser: 49 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार जो राज्य विधानसभा का भी एक सदस्य है। उसने इस तथ्य को अपने विजीटिंग कार्ड में ''चार्टड लेखाकार'' शब्द के साथ दर्शाया है।

Hint: दुर्व्यवहार। (same)

वाक्यांश 8 :–

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को पेशेवर दुराचरण का दोषी माना जाएगा। यदि –

वह एक अन्य चार्टड लेखाकार के द्वारा पहले से धारित एक अंकेक्षक लिखित में सम्प्रेषण किए बिना अंकेक्षक का पद स्वीकार करता है।

1. अंकेक्षण फीस स्वीकार न करने के लिए व्यावसायिक कारण।

a) धारा 224 तथा 225 के प्रावधानों का पालन न करना।

b) टविवादित अंकेक्षण फीस का भुगतान न होना।

c) मर्यादित रिर्पोट जारी करना।

CA Aseem Trivedi

2. यदि प्रथम दो दशाओं में एक अंकेक्षक जो अंकेक्षण कार्य स्वीकार करता है, पेशेवर दुराचरण का दोषी होगा। तीसरे मामलें में वह अंकेक्षण कार्य को स्वीकृत कर सकता है यदि वह सोचता है कि निवृत्त अंकेक्षक का रवैया उचित तथा न्यायिक नहीं था। यदि दुसरी तरफ वह महसूस करता है कि निवृत्त अंकेक्षक ने रिर्पोट को सही तथा वैध कारणों से मर्यादित किया है तो उसे क्लाईंट को मना कर देना चाहिए।
3. यदि फीस का भुगतान न किए जाने के संबंध में कोई विवाद है तो उसे फीस के विवाद के निपटारे के लिए अपने से पहले वाले अंकेक्षक के पक्ष में प्रयोग करना चाहिए।
4. आने वाला अंकेक्षक एक उचित समय के लिए उत्तर की प्रतिक्षा करने के बाद अंकेक्षक के रूप में कार्य कर सकता है।
5. केवल ''अन्डर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग'' के पत्र को भेजना ही पर्याप्त नहीं है। इस बात का सकारात्मक साक्ष्य होना चाहिए की वास्तव में सम्प्रेषण करने वाले व्यक्ति के पास पत्र पहुँच गया है।
6. वह सभी अंकेक्षण असाइनमेन्ट के लिए आवेदन कर सकता है, जिनमें शामिल है आंतरिक अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण, कर अंकेक्षण, आयकर अधिनियम की धारा 142 [2A] के अनुसार विशेष अंकेक्षण।
7. सम्प्रेषण का दायित्व हर परिस्थिति में निरपेक्ष तथा आवश्यक है। भले ही नियुक्ति सरकार द्वारा हो अथवा भूतपूर्व अंकेक्षक नियुक्ति के बारे में जानता हो।
8. धारा 233 के अंतर्गत विशेष अंकेक्षण के रूप में नियुक्त एक अंकेक्षक के लिए यह आवश्यक नही है कि वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224 के अंतर्गत नियुक्त अंकेक्षक के साथ सम्प्रेषण करें।

Poser: 50 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार एक कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया ने अपने पूर्ववर्ती अंकेक्षक को पत्र लिखा यह पूछने के लिये कि पंजीकृत AD पोस्ट से नियुक्ति को स्वीकृत न करने का कोई पेशेवर या अन्य कारण है ?

Hint:

Poser: 51 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार जिसे एक कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अपने पूर्ववर्ती अंकेक्षक को एक पत्र लिखा कि नियुक्ति को स्वीकृत न करने के पीछे क्या कोई पेशेवर अथवा अन्य कारण है। पत्र भेजने के तुरंत पश्चात् वह अंकेक्षण कार्य प्रारंभ कर देता है।

Hint: पत्र भेजने के तुरंत पश्चात् काम प्रारंभ नहीं किया जा सकता। (चार्टड लेखाकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 का वाक्यांश 8)

CA Aseem Trivedi

Poser: 52 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार जिसे एक कंपनी का कर अंकेक्षक नियुक्त किया गया जिसने पूर्ववर्ती अंकेक्षक से संवाद किये बिना अंकेक्षण की स्वीकृति दे दी।

Hint: दुर्व्यवहार। (same)

Poser: 53 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को विशेष अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया जिसने स्वीकृति से पूर्व वैधानिक अंकेक्षक से संवाद नहीं किया।

Hint: संवाद की आवश्यकता नहीं।

Poser: 54 मि. A ने अंकेक्षण नियुक्ति की स्वीकृति देने से पूर्व एक नये अंकेक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति के बारे में पूर्ववर्ती अंकेक्षक मि. B से संवाद किया। मि. B ने उस पर अपनी आपत्ति जताई तथा उत्तर दिया कि

<u>वाक्यांश 9 :–</u>

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को पेशेवर दुराचरण का दोषी समझा जाएगा यदि –

वह बिना यह ज्ञात किए एक कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार करता है, क्या नियुक्ति के संबंध में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 225 की आवश्यकता का पालन किया गया है।

(Kindly refer "Practical Approach to Audit under companies Act by same author)

<u>वाक्यांश 10 :–</u>

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को पेशेवर दुराचरण का दोषी समझा जाएगा यदि –

वह किसी पेशेवर रोजगार के संबंध में लाभ के प्रतिशत के आधार पर इस प्रकार के रोजगार के परिणाम अथवा खोज पर आकस्मिक वसूलना अथवा वसूलने का प्रस्ताव स्वीकार करता है अथवा स्वीकार करने का प्रस्ताव करता है।

1. यह वाक्यांश लागू नहीं होगा यदि फीस न्यायालय/सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा तय की जाती है।
2. इस मूल्य के अपवाद विनियमन 192 द्वारा दिए गए है।
   a) निस्तारक अथवा रिसीवर (वसूली/वितरण का प्रतिशत)
   b) सहकारी समितियों का अंकेक्षक (चूकता/कार्यशील पूंजी का प्रतिशत, सकल/शुद्ध आय/ लाभ)
   c) कर कानून के अंतर्गत मूल्यांकन कर्ता (मूल्यांकित सम्पत्ति का प्रतिशत)

CA Aseem Trivedi

Poser: 55 एक कंपनी के अंकेक्षक ने अपनी अंकेक्षण फीस को कार्य की मात्रा का आधार पर प्रभावित किया जो वर्ष के लिये विक्रय के अंकेक्षित ऑकड़ो के द्वारा इंगित होती है।

Hint: दुव्यवहार। (same but clause 10)

Poser: 56 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार ने जिसे एक कंपनी का रिसीवर नियुक्त किया गया अपनी फीस को कुल वसूली अथवा भुगतान पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में प्रभावित किया।

Hint: इस केस में परिषद् द्वारा यह मान्य है कि फीस को प्रतिशत के रूप में प्रभावित किया जाये।

Poser: 57 एक सहकारी समिति के अंकेक्षक ने अपनी फीस को समिति की कार्यशील पूँजी पर प्रभावित किया।

Hint: इस केस में परिषद द्वारा यह मान्य है कि फीस को प्रतिशत के रूप में प्रभावित किया जाये।

Poser: 58 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार जिसे प्रत्यक्ष करों के लिये एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया उसने अपनी फीस को उसके द्वारा मूल्यांकित संपत्तियों पर प्रतिशत के रूप में प्रभावित किया।

Hint: (same)

Poser: 59

Poser: 60 अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार मि. जुबेर के एक क्लांइट ने संस्था में एक शिकायत की मि मि. जुबेर ने कर अंकेक्षण के लिये उनसे 3,000 रू. फीस ली जबकि सामान्यतः वह दसरों से 1,000 रू. ही लेते है।

Hint: दुर्व्यवहार नहीं है।

<u>वाक्यांश 11 :–</u>

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को पेशेवर दुराचरण का दोषी समझा जाएगा यदि –

वह चार्टड लेखाकार के पेशे के अतिरिक्त किसी अन्य व्यापार अथवा पेशे में लिप्त है जब तक काउंसिल की अनुमति न हो।

प्रदान किया गया है यहॉ कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक चार्टड लेखाकार को कम्पनी का निर्देशक होने से रोके। (प्रबन्ध निर्देशक अथवा पूर्णकालिक निर्देशक) जब तक वह अथवा उसका कोई भी साझेदार अंकेक्षक के रूप में उस कम्पनी में हित न रखते हो।

CA Aseem Trivedi

विनियमन 190A में निहीत अधिकार के अंतर्गत काउंसिल द्वारा पारित सामान्य तथा विशेष प्रस्ताव जिसे CA विनियमन 1988 एपेन्डिक्स नम्बर 10 में पारित किया गया है, को सूचना के लिये नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

अ. सामान्यतः प्रदत्त अनुमति :–

''इंस्टीट्यूट का एक सदस्य जो प्रैक्टिस में है उसे सामान्यतः निम्न श्रेणी के व्यवसाय में लिप्त होने की अनुमति है, जिसके लिये निम्नांकित किसी भी मामलों में काउंसिल से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

1. CA/CA फर्म के अंतर्गत रोजगार।
2. निजी अध्यापन।
3. पुस्तकों/लेखो की ऑथरशीप।
4. जीवन बीमा ऐजेंसी लाईसेंस का धारण (नवीनीकरण कमीशन)।
5. कक्षा में उपस्थित होना तथा परीक्षा में भाग लेना।
6. सार्वजनिक चुने गये कार्यालय का धारण। (M.P.; M.L.A.)
7. नोटरी पब्लिक, शांति का न्यायाधीश, विशेष कार्यकारी दण्डाधिकारी।
8. इंस्टीट्यूट की कोचिंग संस्थान में अंशकालिक अध्यापन।
9. पेपर का मूल्यांकन, पेपर सेटर, मुख्य परीक्षक अथवा किसी भी परीक्षा के लिये मोडरेटर सेंटर।
10. पेशेवर जर्नल की संवादकर्ता/का संपादन।
11. बीमा अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षक तथा हानि निर्धारणकर्ता के रूप में
12. वसूली सलाहकार।
13. बीमा दलाली।

विशेष अनुमति :–

इंस्टीट्यूट का एक सदस्य जो प्रैक्टिस में काउंसिल की विशेष तथा पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् निम्नांकित व्यापार अथवा पेशे की श्रेणी में लिप्त हो सकता है।

1. व्यापारिक संस्था में पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रोजगार बशर्ते सदस्य तथा/अथवा उसके रिश्तेदार का उस संस्था में हित न हो।
2. व्यापारिक संस्था में पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रोजगार।
3. प्रबंध निर्देशक/पूर्णकालिक निर्देशक।
4. पारिवारिक व्यापारिक संस्था में हित।
5. किराये पर श्रमिकों की सहायता द्वारा कृषि तथा सहयोगी गतिविधियों में हित।
6. किसी शिक्षण संस्थान में हित।
7. CA परीक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य कोर्स के लिये पूर्णकालिन/अंशकालिन प्रवक्ता।
8. इंस्टीट्यूट की कोचिंग के अतिरिक्त किसी अन्य शिक्षण संस्थान में पूर्णकालिन/अंशकालीन अध्यापन।

CA Aseem Trivedi

9. पेशेवर पत्रिका के अतिरिक्त अन्य पत्रिका का संपादन।

10. कोई अन्य व्यवसाय/पेशा।

यद्यपि वे एक निस्तारक, न्यासी, एक्जीक्यूटर इत्यादि के रूप में कार्य कर सकते हैं अथवा अपनी पेशेवर क्षमता में सरकार/न्यायालय/कानूनी प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति के सकता है बशर्ते वह salary – cum – full time आधार पर न हों।

काउंसिल ने अपनी 242वी सभा में कार्यकारी समिति द्वारा दी गई सिफारिश पर ध्यान दिया गया। तथानुसार नियमन 190A के अंतर्गत विद्यमान प्रस्ताव की निरन्तरता में जो CA विनियमन 1988 (2002 प्रकाशन) के एपेन्डिक्स नम्बर 9 में प्रकट होता है के एक भाग के रूप में निम्नांकित प्रस्ताव पास किया।

उसके अतिरिक्त यह भी निश्चय किया गया कि काउंसिल द्वारा सामान्य तथा विशेष अनुमति इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि –

(i) कोई भी सदस्य किसी भी अन्य व्यवसाय अथवा पेशे में लिप्त एपेन्डिक्स नम्बर 9 के अनुसार सामान्य अथवा व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के अर्थो में निम्नांकित दशाओं को छोड़कर किसी भी अन्य अटेस्ट फंक्शन का निष्पादन करने का अधिकारी नहीं होगा।

1. पुस्तकों तथा लेखो की ऑथरशिप।
2. नवीनीकरण कमीशन को प्राप्त करने के सीमित उद्देश्य के लिए जीवन बीमा एजेन्सी लाईसेन्स का धारण।
3. कक्षाओं में उपस्थित होना तथा किसी परीक्षा में भाग लेना।
4. धर्मार्थ, शैक्षणिक अथवा अन्य गैर–वाणिज्यिक संस्था की अवैतनिक कार्यालय नेतृत्व।
5. नोटरी पब्लिक, शान्ति का न्यायाधीश, विशेष कार्यकारी दण्डाधिकारी के रूप में कार्य करना।
6. इंस्टीट्यूट की कोचिंग संस्था के अंतर्गत अंशकालिक अध्यापन।
7. किसी भी परीक्षा के लिए पेपर का मूल्यांकन, पेपर सेटर, मुख्य परीक्षक अथवा मॉडरेटर के रूप में कार्य करना।
8. पेशेवर जर्नल का सम्पादन।
9. बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत सर्वेक्षक तथा हानि निर्धारणकर्ता के रूप में कार्य करना। (रोजगार में नहीं)
10. बैंकिंग सेक्टर में वसूली सलाहकार के रूप में कार्य करना। (रोजगार में नहीं)
11. इंस्टीट्यूट, क्षेत्रीय काउंसिल अथवा उसकी शाखाओं द्वारा परिचालित कोई भी कोचिंग assignment
12. किसी विश्वविद्यालय, मान्यताप्राप्त महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, निजी अध्यापन में प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति बशर्ते ऐसी गतिविधियों द्वारा पढ़ाने के प्रत्यक्ष घण्टे एक सप्ताह में 25 घण्टों से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

CA Aseem Trivedi

13. किसी अन्य व्यवसाय अथवा पेशे में नियुक्ति जिसकी अनुमति समय–समय पर कार्यकारी समिति द्वारा दी गयी हो।।
14. बीमा दलाली
15. सार्वजनिक चुने गये पद जैसे MP, MLA, MLC का धारण।

(ii) एक सदस्य जो किसी अटेस्ट फंक्शन को निष्पादित करने का अधिकारी नहीं है उसे किसी अंकेक्षण सहायक को प्रशिक्षित करने का अधिकार प्रदान नहीं है।

शब्द 'रिश्तेदार' तथा 'सारवान हित' का वही आशय है जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 में दिया गया है।

Poser: 61 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार जो ICAI का सदस्य बनने से पहले एक LIC एजेण्ट थे उन्होने उपरोक्त निगम से कमीशन प्राप्त किया।

Hint: दुर्व्यवहार नहीं है पहले जारी की गई पॉलिसीज के लिये कमीशन प्राप्त करना मान्य है।

Poser: 62 अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार मि. A एक किताब ''ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्र'' के लेखक है।

Hint: दुर्व्यवहार नहीं है।

Poser: 63 मि. B ने एक मासिक मैगजींन ''देश दर्शन'' की संपादकता के लिये परिषद् से अनुमति प्राप्त किये बिना ही अपनी स्वीकृति दे दी।

Hint: दुर्व्यवहार। (same but clause 11)

Poser: 64 मि. A पार्षद सीमा नियम तथा अंर्तनियम के हस्ताक्षरकर्ता बनते है।

Hint: दुर्व्यवहार नहीं है।

वाक्यांश 12 :–

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को पेशेवर दुराचरण का दोषी माना जायेगा यदि –
वह एक ऐसे व्यक्ति को अपनी अथवा अपनी फर्म की ओर से किसी –

1. चिट्ठा।
2. लाभ–हानि खाता।
3. प्रतिवेदन अथवा
4. वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देता है जो इंस्टीट्यूट का एक अभ्यासरत् सदस्य नहीं है अथवा न ही उसका साझेदार है।

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार एक गैर सदस्य को उसके अथवा उसकी फर्म के नाम से B/s पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दे सकता, परंतु फर्म के साझेदार ऐसा कर सकते है।

यहॉ तक कि एक CA जो अपनी फर्म द्वारा रोजगार में है साईन नहीं कर सकता जब तक कि वह फर्म में साझेदार हो।

CA Aseem Trivedi

परंतु दिनचर्या दैनिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकारी जिन पर विचार अथवा authentication की आवश्यकता नहीं है, फर्म के साझेदार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को डेलीगेट किया जा सकता है।

यदि एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार अपने अंकेक्षण सहायक को, जो सदस्य नहीं है को अंकेक्षण फीस के लिये CA की फर्म की ओर से बिल पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देता है तो इसे पेशेवर दुराचरण नहीं माना जायेगा।

Poser: 65 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार ने अपने सहायक अंकेक्षक जो कि स्वयं एक चार्टड लेखाकार नहीं है अंकेक्षण फीस के लिए फर्म की ओर से बिलों पर हस्ताक्षर करने को स्वीकृति देता है।

Hint: दुर्व्यवहार नहीं है। बिलिंग एटेस्ट फंक्शन नहीं है।

Poser: 66 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार का एक्सीडेंट हो गया तथा इसलिए उसने अपने जो कि एक चार्टड लेखाकार है को कंपनी की अंकेक्षण रिर्पोट पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया।

Hint: दुर्व्यवहार (same but caluse 12)

CA Aseem Trivedi

भाग – II

सेवा में इंस्टीट्यूट के सदस्यों के संबंध में पेशेवर दुर्व्यवहार :–

इंस्टीट्यूट के एक सदस्य को (प्रेक्टिस में सदस्य को छोड़कर) पेशेगत दुराचरण का दोषी माना जायेगा, यदि वह किसी कंपनी, फर्म अथवा व्यक्ति का कर्मचारी हैं। तथा

(i) उस दौरान जो भी पारिश्रमिक प्राप्त करता है उसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसके किसी भाग अथवा हिस्से को भुगतान करता है अथवा भुगतान करने के लिये सहमत होता है।

(ii) कमीशन अथवा उपहार के रूप में किसी कंपनी, फर्म अथवा व्यक्ति, एजेण्ट अथवा कंपनी द्वारा नियुक्ति किसी वकील, चार्टड लेखाकार अथवा ब्रोकर से फीस, लाभ अथवा अर्जन प्राप्त करता है अथवा प्राप्त करने के लिये सहमत होता है।

Poser: 67 रोजगार में लगा चार्टड लेखाकार अपने वेतन का 15% भाग एक व्यक्ति को देता है जो उसके रोजगार को सुरक्षित करता है यह प्रबंध एक साल से लगातार है।

Hint: दुर्व्यवहार (चार्टड लेखाकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची का भाग – 2 वाक्यांश 1)

भाग – III

सामान्यतः इंस्टीट्यूट के सदस्यों के संबंध में पेशेवर दुर्व्यवहार :–

इंस्टीट्यूट का प्रत्येक सदस्य चाहे वह प्रैक्टिस में हो अथवा नहीं को पेशेवर दुराचरण का दोषी माना जायेगा यदि वह –

(ii) इंस्टीट्यूट का फैलो नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट के एक फैलो के रूप में कार्य करता है।

(iii) इंस्टीट्यूट, काउंसिल, किसी समिति, निदेशक (अनुशासन), अनुशासन बोर्ड, अनुशासन समिति, गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड अथवा अपीलीय प्राधिकरण द्वारा मांगी गई आवश्यकता का पालन नहीं करता है अथवा मांगी गई सूचना को प्रदान नहीं करता है।

(iv) एक अन्य चार्टड लेखाकार से पेशेवर कार्य को आमंत्रित करते समय अथवा टेंडर अथवा जॉच पड़ताल का उत्तर देते समय अथवा एक लेख के जरिये विज्ञापन देते समय अथवा इस अनुसूची के भाग I की मद के वाक्यांश (6) तथा (7) में प्रदान किसी भी मद के लिये जानते हुये भी असत्य सूचना देता है।

Poser: 68 वर्तमान में एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार इंस्टीट्यूट का एक एसोसिएट् मेम्बर है परन्तु उसने फैलोशिप में एडमिशन लेने के लिए अंकेक्षको की सूची में अपना नाम बड़ाने के लिए स्वयं को एक FCA के रूप में दर्शाया। क्योंकि केवल FCA ही आवेदन देने के लिए एनटाईटल नहीं है।

Hint: दुर्व्यवहार (चार्टड लेखाकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची का भाग – 8 वाक्यांश (1)) (चार्टड लेखाकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची भाग – 2)

Poser: 69

भाग – IV

सामान्यतः इंस्टीट्यूट के सदस्य के संबंध में अन्य दुर्व्यवहार :–

इंस्टीट्यूट का एक सदस्य चाहे वह प्रैक्टिस में हो अथवा नहीं पेशेगत दुर्व्यवहार का दोषी माना जायेगा यदि उसे –

(i) एक अपराध के लिये किसी सिविल अथवा आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया है जो कि 6 माह से अधिक के लिये सजायोग्य नहीं है।

(ii) काउंसिल की राय में उस सदस्य के कारण प्रोफेशन या इंस्टीट्यूट के सम्मान में कमी आई है भले ही ऐसा कार्य प्रोफेशन से संबंधित न हो।

CA Aseem Trivedi

कुछ उदाहरण है, जहॉ एक सदस्य को उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत अन्य दुर्व्यवहार का दोषी माना जायेगा –

1. जहॉ एक चार्टड लेखाकार ने बिना किसी उचित कारण के क्लांइट की लेखा पुस्तकों अथवा प्रपत्रों को अपने पास रख लिया है तथा क्लांइट के अनुरोध पर उसको लौटाने में असफल रहा है।
2. जहॉ एक चार्टड लेखाकार ने एक सारवान मिथ्यावर्णन दिया है।
3. जहॉ एक चार्टड लेखाकार ने अपने आर्टिकल अथवा अंकेक्षण क्लर्क की सेवाओ का उपयोग पेशेवर कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिये किया है।
4. चार्टड लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 8 के अंतर्गत किसी अपराध के लिये किसी दक्ष न्यायालय द्वारा उसे अपराध समझा गया हो।
5. इंस्टीट्यूट की क्षेत्रीय काउंसिल का office-bearer द्वारा एक बहुत बड़ी राशि का मिथ्यावर्णन तथा निजी उद्देश्य के लिये उसका उपयोग।
6. सार्वजनिक प्राधिकरणों के पत्रों का बिना किसी सही कारण के उचित समय में जवाब न देना।
7. जहॉ चार्टड लेखाकार के क्लाईंट से संबंधित आयकर के कुछ असेसमेन्ट रिकॉड्स का चार्टड लेखाकार के बेड–रूम की अलमारी से पाया जाना।
8. जहॉ एक चार्टड लेखाकार बैंक से स्वयं के लिये लोन को सेंक्शन कराने के लिये जोर जबरदस्ती का कोई तरीका अपनाता है।

Poser: 70 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार मि. X ने अपने नियोक्ता की पुस्तकों को अपने पास रोककर रख लिया तथा बिना किसी उचित कारण के उसको लौटाने में असफल रहा।

Hint: अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग IV के वाक्यांश (2) के अनुसार अन्य दुर्व्यवहार।

Poser: 71 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार मि. X ने अपने नियोक्ता की लेखा पुस्तकों को इस आधार पर रोककर रख लिया कि उन्होने उन पुस्तकों पर किए गए काम के लिए फीस का भुगतान नहीं किया।

Hint: पूर्वाधिकार के सामान्य कानून के अनुसार पुस्तकों को रोककर रखा जा सकता है।

Poser: 72 आयकर की रेड के दौरान आय की कुछ महत्वपूर्ण फाईले छिपाई गई थी जो अंकेक्षक के निवास स्थान से पाई गई।

Hint: (same as poser 70)

Poser: 73 मुम्बई के महानगर पालिका निगम के मेयर ने परिषद् से शिकायत की कि अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार मि. X उनके ऑफिस भवन पर सम्पत्ति कर नहीं दे रहे है।

Hint: (same)

CA Aseem Trivedi

Poser: 74 देना बैंक के प्रबंधक ने एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार मि. JM के बारे में शिकायत दर्ज की कि उन्होने उनकी शाखा के चिट्ठे पर नि. लि. आधार पर हस्ताक्षर किए –

- उनके क्लाइन्ट मेसर्स SG के सभी लंबित वित्तीय प्रस्तावों को अंकेक्षण रिर्पोट देने के पहले संतुष्टि क्लीयर कर दिया गया है।
- उनके लिए दक्षिण मुम्बई के सभी वित्तीय प्रस्तावों को CAN डाटा तथा प्रोजेक्शन के लिए प्रबंधक द्वारा निर्देषित किया गया है।

Hint: (same)

द्वितीय अनुसूची
[देखें धारा 21(3), 21B(3) तथा 22]
भाग – I

प्रैक्टिस में चार्टड लेखाकार के संबंध में पेशेगत दुर्व्यवहार –

वाक्यांश 1 :–

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को पेशेवर दुर्व्यवहार का दोषी माना जायेगा यदि वह–

अपनी पेशेवर नियुक्ति के दौरान प्राप्त की गई सूचना को अपने ग्राहक की अनुमति के बिना जिसने उसे नियुक्त किया है अथवा किसी कानून द्वारा आवश्यक हुये बिना प्रकट करता है।

क्लाइंट द्वारा अवैधानिक कार्य करने पर अंकेक्षक का क्या कर्तव्य है ?

1. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 44 अथवा किसी अन्य अधिनियम के द्वारा सदस्य का ऐसा कोई दायित्व नहीं है कि उसके पेशेवर कार्य के दौरान उसके क्लांइट द्वारा कराधान की धोखाधड़ी के जो मामले सामने आये है उन्हें वह आयकर प्राधिकरण को सूचित करें।
2. साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत, वैरीस्टर–एटॉर्नी याचनाकर्ता तथा वकील द्वारा सूचना का प्रकटीकरण करना बाधित है सिवाय जब तक उसे अपने नियोक्ता से स्पष्ट सहमति प्राप्त नहीं होती, इसके लिये उससे कोई संप्रेषण नहीं किया जाता, तथा यह नियोजन उद्देश्य के लिये आवश्यक न हो अथवा
3. सदस्य पर ऐसा कोई दायित्व नहीं है कि वह अवैधानिक कार्य क संबंध में IT अधिनियम को सूचित करे और न ही उसका यह दायित्व है कि वह धोखाधड़ी के प्रावधानों से उसे बचाये।
4. यदि नियोक्ता के रिटर्न में कोई वास्तविक गलती/भूल हुई है तो उसे पूर्ण प्रकटीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए।

CA Aseem Trivedi

5. यदि सदस्य द्वारा पिछले वर्षो के रिर्टन अथवा खातों में कोई कपट मिलता है तो उसे अपने नियोक्ता को यह सलाह देना चाहिये कि वह उसे अभिव्यक्त करे। यद्यपि वह अपने काम को जारी रख सकता है यदि विगत वर्षो के कपट उसके वर्तमान नियुक्ति को प्रभावित नहीं करते।
6. यदि पिछले सालों के जॉचे गये तथा प्रतिवेदन खातों में कोई सलाह उसी सदस्य द्वारा खोजा जाता है तो उसे अपने नियोक्ता को राय देना चाहिये कि वह इसका प्रकटीकरण करे। यदि वह मना करता है, तो वह स्वयं को मामले से अलग कर सकता है तथा इसकी सूचना वह प्राधिकरण को देगा, किंतु वापसी से पूर्व वह प्राधिकरण को सूचित करेगा।
7. यदि वर्तमान रिर्टन अथवा खातों में कोई कपट पाया जाता है तो नियोक्ता को उसे अभिव्यक्त करने की सलाह देना चाहिये। अन्यथा उसे रिर्पोट में अपने अधिकार को सुरक्षित रख लेना चाहिये। तथा रिर्पोट से स्वयं को अलग कर लेना चाहिये।
8. यदि आयकर प्राधिकरण शपथ पर सदस्य का परीक्षण करने के लिये अथवा नियोक्ता की लेखा पुस्तकों अथवा प्रपत्रों को प्रस्तुत करने के लिये समान जारी करता है तो सदस्य को गोपनीयता के वाक्यांश को बनाये रखने के लिये एक कानूनी सलाह लेना चाहियैं

Poser: 75 एक चार्टर्ड लेखाकार जिसे क्लाइंट द्वारा आयकर विवरणी तैयार करने के लिए प्रार्थना की गई थी उसने पाया की चालू आय के एक महत्वपूर्ण भाग को छुपाया गया है। उसने अपने नियोक्ता को सलाह दी कि विवरणी में इसका पूर्ण प्रकटीकरण किया जाए। क्लांईट ने इस बात को नहीं माना। तब भी चार्टर्ड लेखाकार अपना असाइनमेंट जारी रखता है।

Hint: दुर्व्यवहार, यह सदस्य का दायित्व नही है कि वह कर को धोखाधड़ी के अंतर्गत नियोक्ता की रक्षा करे। (चार्टर्ड लेखाकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग–I की वाक्यांश – (1))

जहॉ एक चार्टड लेखाकार अपने पेशेवर कार्य के दौरान प्राप्त सूचना को अपने नियोक्ता की अनुमति के बिना आयकर अधिकारी के समक्ष प्रस्तूत करता है तो उसे द्वितीय अनुसूची के भाग I के वाक्यांश 1 के अंतर्गत माना जायेगा।

वाक्यांश :– 2

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को पेशेवर दुराचरण का दोषी माना जायेगा। यदि वह –

वह वित्तीय विवरणों के परीक्षण की एक रिर्पोट को अपने अथवा अपनी फर्म के नाम में प्रमाणित/जमा करता है जब तक ऐसा परीक्षण स्वयं उसके द्वारा, अथवा उसके साझेदार द्वारा अथवा उसके कर्मचारी द्वारा अथवा एक अन्य सभ्यासरत् चार्टड लेखाकार द्वारा नहीं किया जाता।

CA Aseem Trivedi

इस वाक्यांश को यह सुनिश्चित करने के लिये प्रस्तावित किया गया कि सदस्य को सौपा गया कार्य, रिर्पोट प्रस्तूत करने से पहले उसके द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा उसके प्रर्यवेक्षण के अंतर्गत किया गया है।

वाक्यांश :– 3

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को पेशेवर दुराचरण का दोषी माना जायेगा यदि –

वह अपना अथवा अपनी फर्म के नाम का उपयोग ऐसे संदिग्ध लेनदेनों की आय का अनुमान करने में देने के लिये सहमत होता है जो इस विश्वास की ओर ले जाता है कि अपने भावी पूर्वानुमान को उचित प्रमाणन कर लिया है।

काउंसिल ने लाभ पूर्वानुमान तथा/अथवा वित्तीय पूर्वानुमान पर लेखांकक रिर्पोट नाम से एक मार्गदर्शक टिप्पणी जारी की है जिसके अनुसार –

सदस्य लाभ अथवा वित्तीय पूर्वानुमान की तैयारी में भाग ले सकता है तथा उनका पुनरीक्षण कर सकता है बशर्ते वह अपनी रिर्पोट में निम्नांकित को इंगित करता है।

(1) सूचना का स्त्रोत,

(2) पूर्वानुमान का आधार : तथा

(3) वह सारी मान्यताएँ भी जिन्हें उसने पुर्वानुमान तक पहुँचने के लिये उपयोग में लिया है।

Poser: 76 एक चार्टर्ड लेखाकार के ऋण के आवेदन को बैंक में जमा करने के संबंध में।

Hint: दुर्व्यवहार (चार्टर्ड लेखाकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग – 1 का वाक्यांश 3)

वाक्यांशः– 4

एक अभ्यासरत् चार्टर्ड लेखाकार को पेशेवर दुराचरण का दोषी पाया जायेगा यदि –

वह एक ऐसे व्यापार अथवा उपक्रम के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करता है जिससे उसका, अथवा उसकी फर्म का अथवा, उसकी फर्म के एक साझेदार का सारवान हित है।

संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा शब्द ''जब तक वह अपनी रिर्पोट में हित को प्रकट नहीं करता'' को इस वाक्य से हटा दिया गया, इसलिये यह अनिवार्य है कि एक सदस्य ऐसे व्यवसाय अथवा उपक्रम के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त न करे जिसमें उसका अथवा उसकी फर्म का अथवा उसकी फर्म के एक साझेदार का सारवान हित हो।

1. एक कॉलेज का अंशकालीन व्याख्याता एक ऐसे कॉलेज में अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें वह एक निस्तारक है।

CA Aseem Trivedi

2. एक ट्रस्ट का कर्मचारी अथवा न्यासी एक ऐसी ट्रस्ट में अंकेक्षक की नियुक्ति स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें वह अथवा उसका साझेदार या तो कर्मचारी है अथवा एक न्यासी है।
3. एक कंपनी का निस्तारक उस कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें वह निस्तारक है।
4. प्रोपराईटर अथवा साझेदार एक ऐसे उपक्रम में अंकेक्षक की नियुक्ति स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें वह प्रोपराइटर अथवा साझेदार है।
5. सदस्य जो रोजगार में है तथा जिसके पास COP है एक ऐसी व्यापारिक संस्था के वित्तीय विवरणों पर रिर्पोट नहीं कर सकता जिसमें वह रोजगार में है अथवा उसी संस्था के प्रबंध में जिसमें वह रोजगार में है।
6. यह वाक्यांश सत्यापित करने वाली गतिविधियों पर लागू होता है उदाहरण के लिये –

(1) कर अंकेक्षण।
(2) स्कंध विनीमय के सदस्यों का अंकेक्षण।
(3) अन्य वैधानिक अंकेक्षण।

7. सारवान हित का वही आशय है जो आयकर अधिनियम में परिभाषित है।
8. रिश्तेदारों से आशय है : पति/पत्नि, भाई, बहन अथवा अन्य कोई वैधानिक पूर्वत्व तथा अग्रज।
9. वित्तीय विवरणों से आशय है प्रतिवेदन तथा प्रमाणन।

Poser: 77 एक अभ्यासरत् चार्टर्ड लेखाकार ने जो एक कॉलेज में पार्ट–टाईम लेक्चरर है उसका अंकेक्षण स्वीकार कर लिया।

Hint: दुर्व्यवहार (चार्टर्ड लेखाकार अधिनियम द्वितीय अनुसूची के भाग–1 का वाक्यांश 4)

Poser: 78 एक अभ्यासरत् चार्टर्ड लेखाकार ने एक ट्रस्ट के अंकेक्षण को स्वीकार किया जिसमें उनका साझेदार ट्रस्टी है।

Hint: दुर्व्यवहार। (same)

एक चार्टड लेखाकार तथा व्याख्याता जो उसी कॉलेज का अंकेक्षक भी है, द्वितीय अनुसूची के भाग – 1 के वाक्यांश 4 में पेशेगत दुराचरण का दोषी माना जायेगा।

<u>वाक्यांश :– 5</u>

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को पेशेगत दुराचरण का दोषी माना जायेगा यदि –

वह जानते हुये भी वित्तीय विवरणों में ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को अभिव्यक्त नहीं करता है। जो वित्तीय विवरण बनाते समय आवश्यक थे परंतु जिनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों को भ्रामक न बनाने के लिये आवश्यक था, जहॉ पर वह अपनी पेशेवर क्षमता में उस वित्तीय विवरण से संबंधित है।

कुछ उदाहरण :–

CA Aseem Trivedi

(1) जहॉ एक चार्टड लेखाकार कंपनी के अंशधारियों को ऋणपत्र न्यास विलेख के अनुसार डूबत निधी के गैर–सृजन के बारे में रिर्पोट करने में असफल रहता है। तथा यह स्पष्ट नहीं करता है कि डूबत निधि की तरफ जो राशि दिखाई जा रही है वह कंपनी के प्रबंधक एजेण्ट से उधार ली गई है।
(2) जहॉ एक चार्टड लेखाकार इस तथ्य को प्रकट नहीं करता है कि भविष्य निधी के नियमों का उल्लंघन करते हुये कंपनी के नियोक्ता को कर्मचारी भविष्य निधी में से एक बड़ी राशि का ऋण दिया गया है तथा ऋण के पुर्नभुगतान में प्राप्त चैक को क्लीयर करने में जो चूक हुई है उस पर रिर्पोट नहीं करता है।

वाक्यांश :– 6

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को पेशेवर दुराचरण का दोषी माना जायेगा यदि –

वह एक वित्तीय विवरण में प्रकट होने वाले सारवान मिथ्यावर्णन को प्रकट करने में असफल रहता है जिससे वह अपनी पेशेवर क्षमता में संबंधित था।
वास्तव में यह वाक्यांश, वाक्यांश 5 का पूरक है।

Poser: 79 एक कम्पनी ने संबंधित विधान की आवश्यकता के अनुसार भास के लिए प्रावधान नहीं किया तथापि अंकेक्षक यह जानता है कि कम्पनी को ह्रास के लिए प्रावधान करना चाहिये उसने इस तथ्य को अपनी रिर्पोट में प्रर्दशित नहीं किया।
Hint: दुर्व्यवहार (चार्टड लेखाकार अधिनियम को द्वितीय अनुसूची के भाग–1 का वाक्यांश (6) तथा (5))

वाक्यांश :– 7

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को पेशेवर दुराचरण का दोषी माना जायेगा यदि –

वह अपने पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में उचित चौकन्नापन्न नहीं रखता है अथवा सकल लापरवाही बरतता है।
जहॉ एक सदस्य नें बैंक अंकेक्षण पर प्रतिवेदन किया ''हमने हाथ में रोकड़ (cash in hand) का सत्यापन नहीं किया। तथा हमने इस पूर्वानुमान पर चिट्ठे पर हस्ताक्षर कर दिया है, कि बैंक से नकद के संबंध में पुष्टीकरण प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं तथा उनके पास है।'' यह पाया गया कि वह सकल लापरवाही का दोषी है।
जहॉ एक सदस्य बिना यह सत्यापित किये कि लेखा पुस्तकें तथा सांख्यिकीय रिकॉर्डज नहीं है तथा बिना बिकी हुई कॉपियों की वापसी को हिसाब में लिये सांख्यिकीय रिकॉर्ड पर आधारित होकर समाचार पत्र के सर्क्यूलेशन को प्रमाणित करता है उसे सकल लापरवाही का दोषी माना जायेगा।
Poser: 80 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार ने लेखा–पुस्तकों का परीक्षण किए बिना ही ऑडिट रिर्पोट जारी कर दी यद्यपि वह तीन वर्षो से कम्पनी का अंकेक्षक है, तथा उसने पाया की पिछले लेखा पुस्तकों में कोई गलती नहीं है।

CA Aseem Trivedi

Hint: दुर्व्यवहार (चार्टड लेखाकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग 1 का वाक्यांश (7) तथा (8))

Poser: 81 एक चार्टड लेखाकार ने एक समाचार पत्र के सर्किलेशन ऑकड़ो को इस कथन द्वारा प्रमाणित किया कि उसने अन्य बातों के साथ–साथ न्यूज प्रिंट शिट तथा मशीन , रूम विटेन का परीक्षण किया है कि वह पब्लिशर द्वारा मेंटेन नहीं किए जाते है।

Hint: दुर्व्यवहार (चार्टड लेखाकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग–1 का वाक्यांश (7))

एक पान के पत्तों की बिक्री के संबंध में फर्म के मालिक को चार्टड लेखाकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र ने उसे आयात लाईसेंस को प्राप्त कराने में समर्थ किया जबकि वह फर्म पान के पत्तों में डील नही करती थी। चार्टड लेखाकारों ने स्वयं लेखा पुस्तकों की जॉच नहीं की परंतु उनकी शुद्धता के लिये अपने आर्टिकल क्लर्क पर भरोसा किया। उसे द्वितीय अनुसूची के भाग I के वाक्यांश 7 के अंतर्गत सकल लापरवाही का दोषी माना जायेगा।

<u>वाक्यांश :– 8</u>

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को पेशेगत दुराचरण का दोषी माना जायेगा यदि –

ऐसी सूचनाओं को प्राप्त करने में असफल रहता है जो एक राय को अभिव्यक्त करने के लिये आवश्यक है अथवा उसके अपवाद एक राय की अभिव्यक्ति को नकारने के लिये पर्याप्त सारवान है।

एक सदस्य को आवश्यक डाटा तथा सूचना प्राप्त किये बिना राय व्यक्त नहीं करना चाहिये।

डसे अपनी मनाही/मर्यादा/ सुधारात्मक राय को, स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना चाहिये। न कि अस्पष्ट राय देना चाहिये।

CA Aseem Trivedi

Poser: 82 एक निषेचित (Ban) शाखा के अंकेक्षक ने रिर्पोट दी कि उसने हस्तस्थ रोकड़ को सत्यापित नही किया तथा साथ ही उसने इस पूर्वानुमान के आधार चिट्ठे पर हस्ताक्षर कर दिए की बैंक के साथ उन दोषों के संबंध में पुष्टीकरण पत्र प्राप्त हो चुके है।

Hint: दुर्व्यवहार (चार्टड लेखाकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग – 1 का वाक्यांश (8))

वाक्यांश :– 9

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को पेशेगत दुराचरण का दोषी माना जायेगा यदि –

वह परिस्थितियों में लागू होने वाली सामान्यतः स्वीकृत अंकेक्षण प्रविधियों की सहायता से किसी सारवान विचलन (material departure) की ओर ध्यान आकर्षित करने में असफल रहता है।

सभी आश्वासन मानक तथा मार्गदर्शक टिप्पणियों का पालन करना चाहिये जब भी सदस्य उसकी सत्यापित गतिविधियों (Attest functions) को पूरा करता है।

उदाहरण :–

एक सदस्य नकद पुस्तक के कुल योग को चैक करता है। परंतु बैंक कॉलम के योग चैक नहीं करता, कॉन्ट्रा एन्ट्रीज को छोड़कर बैंक कॉलम के सभी लेनदेनों को सत्यापित करता है। केवल कुछ खातों को ही चैक किया, एक कमजोर आंतरिक नियंत्रण तथा चैक होते हुए भी टेस्ट चैक का आश्रय लिया, सभी महीनों के लिये बैंक समाधान विवरण का सत्यापन नहीं किया। उसे द्वितीय अनुसूची के भाग I के वाक्यांश (7) , (8) तथा (9) के अंतर्गत पेशेगत दुराचरण का दोषी माना जायेगा।

वाक्यांश :– 10

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को पेशेगत दुराचरण का दोषी माना जायेगा यदि –

वह फीस अथवा पारिश्रमिक अथवा खर्च किये जाने वाले धन के अतिरिक्त अपने ग्राहक से प्राप्त धन को एक बैंक खाते में रखने अथवा उचित समय के भीतर उस धन का प्रयोग उसी उद्देश्य में उपयोग करने में असफल रहता है।

प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विरूद्ध सदस्य द्वारा प्राप्त अग्रिम इस वाक्यांश के अंतर्गत नहीं आता।

यह उस खर्च पर लागू नहीं होता जिसे एक उचित अल्पविधि में व्यय करना होता है।

डसे एक पृथक बैंक खाते में, जमा करवाने की भी आवश्यकता नहीं होती।

Poser: 83 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार ने अपने नियोक्ता द्वारा स्टॉम्प पेपर क्रय करने तथा एक अलग बैंक खाते में कोर्ट फीस का भुगतान करने लिए दिए गए रू. नहीं रखे यह रू. उसके साथ एक वर्ष से है।

Hint: दुर्व्यवहार। (चार्टड लेखाकार अधिनियम की अनुसूची द्वितीय के भाग – 1 का वाक्यांश – (10))

एक अंकेक्षक ने एक कंपनी में न तो सेंपल टेस्ट किया और न ही बैंक के लेनदेनों का सत्यापन किया। उसने पूरी तरह से एक सीनियर आर्टिकल द्वारा निष्पादित किये गये कार्य पर भरोसा किया। तत्पश्चात् अंकेक्षित खातों से कुछ मिथ्यावर्णन प्रकट हुये। द्वितीय अनुसूची के भाग – I के वाक्यांश 7, 8 तथा 9 के अंतर्गत उसे पेशेगत

CA Aseem Trivedi

दुराचरण का दोषी माना जायेगा। (M.R. Ramnathan v/s utlanath Rao / 1968)

एक चार्टड लेखाकार ने अपने नियोक्ता की से निवेश करने के लिये तथा नियोक्ता की ओर से आवश्यक जमा करने के लिये एक बड़ी राशि प्राप्त की। न तो उसने विनियोग किया और न ही उस धन को एक पृथक बैंक खाते में जमा किया। काउंसिल न`यह निर्णय दिया िकवह द्वितीय अनुसूची के भाग I के वाक्यांश (10) के अनुसार दोषी है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा भी स्वीकृति दी गई।

CA Aseem Trivedi

भाग – II

सामान्यतः इंस्टीट्यूट के सदस्यों के संबंध में दुर्व्यवहार

वाक्यांश :– 1

इंस्टीट्यूट का एक सदस्य चाहे वह प्रैक्टिस में हो अथवा न हो पेशेगत दुर्व्यवहार का दोषी माना जायेगा यदि वह –

इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों अथवा काउंसिल द्वारा जारी की गई मार्गदर्शक टिप्पणीयों का उल्लंघन करता है।

इस वाक्यांश के अंतर्गत सदस्य द्वारा किया गया कोई भी उल्लंघन चाहे वह प्रावधानों का हो अथवा विनियमों का हो उसे दुर्व्यवहार माना जायेगा।

अधिनियम के कुछ प्रावधान निम्नलिखित है जिसका ध्यान रखना प्रत्येक सदस्य के लिये आवश्यक है।

कंपनियॉ जो अभ्यास में लिप्त नहीं हो सकती।

धारा 25

क्पनी अधिनियम, 1956 की धारा कहती है कि एक कंपनी चाहे उसका समामेलन भारत में हुआ है अथवा कहीं भी एक चार्टड लेखाकार के रूप में अभ्यास नहीं कर सकता।

शाखा कार्यालय का रखरखाव (धारा 27)

शाखा कार्यालय को उस जगह के रूप में परिभाषित किया गया है जहॉ फर्म के नाम का एक बोर्ड लगा हो अथवा जिसे किसी भी व्यवसायिक स्टेशनरी पर व्यापार के स्थान के रूप में दर्शाया गया हो। इस प्रकार से एक चार्टड लेखाकार अपने नाम की नेम प्लेट स्वयं को पर चार्टर्ड लेखाकार के रूप में दर्शा सकता था। किन्तु फर्म के नाम की नेम प्लेट अपने निवास स्थान पर नहीं लगा सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उस स्थान को भी शाखा कार्यालय माना जाएगा।

अधिनियम की धारा 27 के अनुसार एक चार्टर्ड लेखाकार जो प्रेक्टिस में है अथवा अभ्यासरत् चार्टर्ड लेखाकारों की एक फर्म भारत में एक से अधिक कार्यालय रख सकते है बशर्ते ऐसे प्रत्येक कार्यालय के लिए इंस्टीट्यूट के एक सदस्य को पृथक चार्ज देना होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि काउंसिल किसी भी अभ्यासरत् चार्टर्ड लेखाकार अथवा चार्टड लेखाकारों की एक फर्म को उचित परिस्थितियों में इस उपधारा का पालन करने से मुक्त कर सकती है।

यह प्रत्येक ऐसे अभ्यासरत् चार्टर्ड लेखाकार अथवा फर्म का कर्तव्य है जो एक से अधिक कार्यालय रखते है वह कार्यालयों की उन व्यक्तियों की एक सूची को भेजे जिनके पास कार्यालय का चार्ज है। तथा इसके अलावा इनसे संबंधित किसी भी परिवर्तन को काउंसिल को सूचित करे।

एक दूसरे कार्यालय को बिना किसी पूर्णकालीन प्रभारी के बिना भी खोला जा सकता है यदि –

1. दूसरा कार्यालय एक ही भवन में स्थित है अथवा।
2. दूसरा कार्यालय एक ही शहर में स्थित है अथवा।
3. दूसरा कार्यालय उस शहर की नगर पालिका सीमा से पचास कि.मी. की दुरी पर स्थित है, जिस शहर में प्रथम कार्यालय स्थित है।

काउंसिल जनरल गाइड–लाईन 2008

वर्तमान में ICAI की काउंसिल ने चार्टड लेखाकार अधिनियम 1949 की द्वितीय अनुसूची के भाग – 2 के वाक्यांश (ii) के अंतर्गत जारी की गई सूचना पर रोक लगाई तथा निम्नांकित मार्गदर्शक टिप्पणीयॉ जारी कि जिसे काउंसिल गाईड लाईन 2008 कहा गया।

1. जब एक चार्टड लेखाकार रोजगार में है –

जब एक चार्टड लेखाकार रोजगार में है त बवह अपने नियोक्ता की ओर से अपने कर्तव्यों का पालन करने में उचित सर्तकता बर्तेगा तथा सकल लापरवाही से काम नहीं करेगा।

2. लागत अंकेक्षक के रूप में सदस्य की नियुक्ति –

CA Aseem Trivedi

1. इंस्टीट्यूट का एक सदस्य कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 233(B) के अंतर्गत एक कम्पनी के लगाव अंकेक्षक के रूप नियुक्त नहीं हो सकता जब वह –

A. ज बवह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224 के अनुसार कम्पनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त है।

B. वह कम्पनी का अधिकारी अथवा कर्मचारी है अथवा

C. वह कम्पनी के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी का सदस्य है

D. अथवा वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224 के अंतर्गत नियुक्त कम्पनी अंकेक्षक के रोजगार में है अथवा उसका साझेदार है। अथवा

E. वह कम्पनी का 1,000 रू. से अधिक का ऋणी है अथवा किसी तृतीय पक्षकार की ओर से उसने कम्पनी को 1,000 रू. से अधिक की गारंटी दी है।

2. लागत अंकेक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति के पश्चात् उपरोक्त मद 1 के (A) से (B) में वर्णित किसी अयोग्यता को धारण करने के पश्चात् भी लागत अंकेक्षक के रूप में निरंतर कार्य करता है।

इंस्टीट्यूट का एक सदस्य जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 233(B) के अंतर्गत लागत अंकेक्षक का कर्मचारी है, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224 के अंतर्गत अंकेक्षक का पद स्वीकार नही कर सकता।

3. वित्तीय विवरणों पर राय जहा सारवान हित हो –

इंस्टीट्यूट का एक सदस्य ऐसे किसी भी व्यापार अथवा उपक्रम के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकता जिसमें उसके एक अथवा एक से अधिक रिश्तेदार है, चाहे वह स्वयं अथवा संयोजन में उस सदस्य के साथ उपरोक्त व्यवसाय अथवा उपक्रम में सारवान हित रखते हों।

इस उद्देश्य हेतू चार्टड लेखाकार अधिनियम, 1949 की द्वितीय अनुसूची के भाग I के वाक्यांश (4) के पालने के उद्देश्य हेतु मद ''सारवान हित'' का वही आशय होगा जो चार्टड लेखाकार विनियमन, 1988 में दिया गया है। तथा ''रिश्तेदार'' का वही आशय होगा जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित है।

4. लेखा पुस्तकों का रखरखाव –

इंस्टीट्यूट का एक सदस्य जो प्रैक्टिस में है अथवा चार्टड लेखाकारों की एक फर्म जिसका वह साझेदार है, उसे अपनी पेशेवर प्रैक्टिस के संबंध में निम्न को शामिल करते हुये उचित लेखा पुस्तकों को रखना चाहिये –

1. एक नकद बही।
2. एक लेजर। (खाताबही)

5. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44AB के अंतर्गत कर अंकेक्षण –

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44AB के अंतर्गत इंस्टीट्यूट का एक सदस्य जो अभ्यास में है एक वित्तीय वर्ष में कर अंकेक्षण की 'विनिर्दिष्ट संख्या' से अधिक अंकेक्षण को स्वीकार नहीं कर सकता। (अर्थात 45 कर अंकेक्षण नियुक्तियॉ चाहे वह निगमित करदाता का हो या अनिगमित करदाता का)

CA Aseem Trivedi

यह प्रदान किया गया है कि अभ्यासरत् चार्टड लेखाकारों की एक फर्म की दशा में यह सीमा प्रत्येक साझेदार के लिए गिनी जाएगी।

जबकि फर्म के लिए इस सीमित संख्या की गणना करते समय यदि किसी साझेदार ने कुछ कर रिर्पोट पर अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अथवा किसी अन्य फर्म के साझेदार की क्षमता में हस्ताक्षर किए है तो उन्हे भी शामिल नही किया जाएगा बशर्ते ऐसे अंकेक्षण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AD , 44AE , 44AF के अंतर्गत किए गए हो।

इन अंकेक्षणों को कर अंकेक्षण की विर्निर्दष्ट संख्या की गणना हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।

''कर अंकेक्षण नियुक्ति की विनिर्दिष्ट सीमा'' में प्रत्येक वर्ष के अंकेक्षण को एक पृथक नियुक्ति के रूप में लिया जाएगा।

एक व्यापारिक संस्था के प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालय को एक अंकेक्षण कार्य माना जाएगा।

एक ही व्यापारिक संस्था की एक अथवा एक से अधिक शाखाओं का एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार द्वारा अंकेक्षण केवल एक कर अंकेक्षण माना जाएगा।

एक चार्टड लेखाकार जो एक फर्म अंशकालीन अभ्यासरत् साझेदार है उसे कर अंकेक्षण के उद्देश्य हेतू गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार को उसके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में स्वीकार किए गए अंकेक्षण के रिर्काड उस फॉर्मेट अथवा प्रारूप में रखना चाहिए जिसे काउंसिल द्वारा निर्धारित किया जाता है।

Diagram

6. अविवादित फीस का भुगतान न करने की दशा में एक अंकेक्षक की नियुक्ति –

इंस्टीट्यूट का एक सदस्य जो अभ्यास में है एक ऐसे उपक्रम के अंकेक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किसी अन्य चार्टड लेखाकार को उसके द्वारा किए गए वैधानिक अंकेक्षण की फीस अथवा अन्य वैधानिक राशियों का भुगतान नहीं किया गया है।

परन्तु ऐसा उपक्रम जहॉ एक सीक ईकाई (Sick unit) (जहॉ शुद्ध सार्मथ्य ऋणात्मक हो) के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव है तो स्वीकृति के लिए उपरोक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

सामान्यतः अविवादित फीस से आशय है कि वित्तीय विवरणों में फीस बताई गई है। तथा वित्तीय विवरण पर अंकेक्षक तथा अंकेक्षण कराने वाले व्यक्ति दोनो द्वारा हस्ताक्षर हो जाते है।

CA Aseem Trivedi

7. अंकेक्षण कार्यो की निर्दिष्ट संख्या –

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224 और 228 के अंतर्गत इंस्टीट्यूट का सदस्य जो अभ्यास में है अंकेक्षण कार्यो की निर्दिष्ट संख्या से अधिक की नियुक्ति स्वीकार नही कर सकता। अर्थात् तीस कम्पनी अंकेक्षण चाहे वह निजी हो अथवा कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अन्य कम्पनी हो। यह प्रदान किया गया है कि एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकारों की एक फर्म की दशा में यह सीमा फर्म के प्रत्येक साझेदार के लिए गिनी जाएगी।

जबकि एक फर्म के लिए इस सीमा की गणना करते समय यदि कोई साझेदार कुछ कम्पनी अंकेक्षण की रिर्पोट पर अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अथवा किसी अन्य फर्म के साझेदार की क्षमता की दशा में करता है। तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रदान किया गया है कि ऐसे तीस अंकेक्षण नियुक्तियों में से उन कम्पनियों की संख्या दस से अधिक नही होगी। जिनकी पूर्णदत्त अंशपूँजी पच्चीस लाख रू. अथवा उससे अधिक है।

इस प्रकार की गणना करते समय एक कम्पनी के प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालय के अंकेक्षण को एक अंकेक्षण माना जाएगा। परन्तु दुसरी तरफ उसी कम्पनी की एक अथवा एक से अधिक शाखाओं का अंकेक्षण एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार द्वारा किया जाता है। अथवा अभ्यासरत् चार्टड लेखाकारों की एक फर्म द्वारा किया जाता है जिसमें वह एक साझेदार है, उसे केवल एक अंकेक्षण माना जावेगा।

साझेदारों की संख्या की गणना करते समय एक फर्म के उन्हीं साझेदारों को गिना जाएगा जो अंकेक्षण नियुक्ति की स्वीकृति की तिथि पर साझेदार था।

इसके अतिरिक्त कोई अन्य साझेदार चाहे वह पूर्णकालीन अथवा अंशकालीन रोजगार/अभ्यास में हो को नहीं गिना जाएगा।

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार अथवा अभ्यासरत् चार्टड लेखाकारों की एक फर्म द्वारा अथवा फर्म के किसी साझेदार द्वारा अपने व्यक्तिगत नाम में अथवा किसी अन्य फर्म के साझेदार के नाम में स्वीकृति अंकेक्षण नियुक्तियों के रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप में रखेगी।

8. वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति –

इंस्टीट्यूट का एक सदस्य जो प्रेक्टिस में है किसी भी ऐसे –

A. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।

B. सरकारी कम्पनी।

C. सूचीगत कम्पनी तथा।

D. अन्य सार्वजनिक कम्पनियों के।

वैधानिक अंकेक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता जिनका आर्वत एक वर्ष में पचास करोड़ रू. अथवा उससे अधिक हो।

CA Aseem Trivedi

उपरोक्त प्रतिबंधवैधानिक अंकेक्षक तथा उसकी सहयोगी संस्थान को एक साथ किसी अन्य कार्य/कार्यो अथवा सेवाओं अथवा नियुक्तियों के लिये भुगतान किये जाने वाली फीस के संबंध में लागू होंगे।

उपरोक्त उद्देश्य के लिये –

1. मद ''अन्य कार्य'' अथवा ''सेवाएँ'' अथवा ''नियुक्तियों'' में शामिल है सभी प्रबंधकारी सलाहें तथा अन्य सभी व्यापारिक सेवाएँ जिन्हे चार्टड लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 2 (2) (iv) के अनुसार काउंसिल द्वारा स्वीकृति दी गई है, किन्तु निम्न शामिल नहीं है।
   - A. किसी अन्य विधान के अंतर्गत अंकेक्षण।
   - B. प्रमाणित कार्य जिन्हें वैधानिक अंकेक्षक द्वारा किया जाना आवश्यक है।
   - C. एक प्राधिकरण के सामने विवरण (Representation)
2. मद ''सहयोगी व्यापारिक संस्थान'' (Associate Concern) से आशय है कोई निगमित निकाए अथवा साझेदारी फर्म जो (काउंसिल द्वारा स्वीकृत) प्रबंधकारी परामर्श तथा अन्य व्यापारिक सेवाएं प्रदान करती है। जहॉ प्रोपराइटर तथा/अथवा वैधानिक अंकेक्षण फर्म का साझेदार तथा/अथवा उसके रिश्तेदार उपरोक्त निगमित निकाए तथा साझेदारी फर्म में निदेशक अथवा साझेदार है अथवा व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त रूप से सारवान हित रखते है।
3. मद ''रिश्तेदार'' तथा ''सारवान हित'' का वही आशय है जो चार्टड लेखाकार विनियमन, 1988 के अपेन्डिक्स 9 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

CA Aseem Trivedi

09. **एक अंकेक्षक की नियुक्ति जब वह संस्था का ऋणी है :–**

इंस्टीट्यूट का एक सदस्य अथवा एक फर्म का साझेदार अथवा एक फर्म जो अभ्यास में है एक ऐसी संस्था में अंकेक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति स्वीकार नही कर सकता जिसका वह ऋणी है अथवा जिसमें उसने किसी तृतीय पक्षकार के ऋण के लिए कोई ग्यारण्टी प्रदान की है।

विधान में यह सीमा एक कम्पनी की दशा में 1,000 रू. तय की गई है। तथा अन्य दशा में यह सीमा 10,000 रू. है।

10. **अंकेक्षक को अनुचित तरीके से हटाए जाने की दशा में दिशा निदेश :–**

इंस्टीट्यूट के एक सदस्य को जो अभ्यास में है काउंसिल अथवा एक उचित समिति अथवा उनमें से किसी ओर की तरफ से दिए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए।

पूर्व अंकेक्षक को अनूचित तरीके से हटाए जाने की दशा में, एक आने वाले अंकेक्षक के नाते उसको अंकेक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति को स्वीकार नही करना चाहिए।

11. अंकेक्षक के संबंध न्यूनतम अंकेक्षण फीस :–

इंस्टीट्यूट का एक सदस्य जो प्रेक्टिस में है वह स्वयं अथवा अपनी फर्म की ओर से (जिसमें वह साझेदार है) नीचे दी गई न्यूनतम अंकेक्षण फीस से कम फीस पर अंकेक्षण कार्य को स्वीकार नही कर सकता। (इसमें खर्चो की क्षतिपूर्ति शामिल नहीं है, यदि कोई हो तो)

A. एक फर्म जिसमें पॉच या पॉच से अधिक साझेदार है किन्तु दस से कम है तथा जिनमें से किसी एक को COP धारण किए पॉच साल अथवा उससे अधिक हो गए है।

B. एक फर्म जिसमें दस अथवा दस से अधिक साझेदार है जिसमें से किसी एक हो COP धारण किए हुए पॉच साल अथवा अधिक हो गए है।

यह प्रदान किया गया है कि ऐसा प्रतिबंध निम्नांकित के संबंध में लागू नही होगा।

1. धर्माथ संस्थान, क्लब प्रोविडेन्ट फन्ड, इत्यादि के खातों का अंकेक्षण जहॉ नियुक्ति बगैर वेतन के है।
2. बैंक की शाखाओं का वैधानिक अंकेक्षण, क्षेत्रीय ग्रामीण शाखाओं को शामिल करते हुए।
3. एक ऐसे नए उपक्रम का अंकेक्षण जिसे प्रारंभ हुए केवल दो वर्ष हुए है जिस दिन से उसने अपने व्यापार का समामेलन किया है।
4. वैधानिक अंकेक्षक द्वारा आयकर अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण अथवा प्रमाणीकरण अथवा सत्यापित किया जाने वाला कोई अन्य कार्य।
5. विक्रय कर अंकेक्षण और वेट अंकेक्षण

	पॉच अथवा पॉच से अधिक साझेदार किन्तु दस से कम	दस अथवा अधिक साझेदार
1. पिछली जनगणना के अनुसार जिस शहर की जनसंख्या तीन मिलियन तथा उससे अधिक है।	6000 रू. प्रतिवर्ष	12,000 रू. प्रतिवर्ष
2- पिछली जनगणना के अनुसार जिस शहर की जनसंख्या तीन मिलियन से कम है।	3,500 रू. प्रतिवर्ष	8,000 रू. प्रतिवर्ष

ICAI Guidelines No-1-CA(7)/ council Guidelines/01/2008

Date : 14th May, 2008

एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार के लिये विज्ञापन हेतु मार्गदर्शक टिप्पणीयॉ

चार्टड लेखाकार अधिनियम, 1949 की प्रथम अनुसूची के भाग I के वाक्यांश 7 के अनुसार जारी –

CA Aseem Trivedi

एक सदस्य Write up selling out द्वारा काउंसिल द्वारा जारी की गई निम्नांकित मार्गदर्शक टिप्पणी के अधीन स्वयं अथवा फर्म के विवरण तथा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विज्ञापन कर सकता है।

तथा इस प्रकार से प्रकाशित कर सकता है जिससे उसके पेशे की प्रतिष्ठा तथा गौरव बना रहे तथा जनता के हित में अपनी काबिलियत पहुँचा सके।

1. सदस्यों अथवा फर्म को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उनके द्वारा दिये गये विवरण के सभी बिन्दु उनकी जानकारी के हिसाब से सत्य तथा विश्वसनीय है। तथा इस गाईडलाइन के अनुकूल है। एवं सावधान रहना चाहिये कि सदस्य या फर्म की किसी भी गलत जानकारी के लिये किसी भी विषय वस्तु तथा दावे के लिये जो किसी भी फर्म अथवा सदस्य द्वारा दिया गया है, इंस्टीट्यूट जिम्मेदार नहीं है।

2. परिभाषा :–

इस गाईडलाइन के उद्देश्य हेतु :–

(1) ''अधिनियम'' से आशय है चार्टड लेखाकार अधिनियम, 1949।

(2) ''इंस्टीट्यूट'' से आशय है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउण्टेण्टस ऑफ इंडिया।

(3) "Write up" से आशय है गाईड लाइन में सूचना के अनुसार लिखित विवरण जिसे किसी अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार अथवा फर्म द्वारा चाहे उसे मुद्रित करके अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अथवा अन्यथा तरीके से गाईडलाईन के अनुसार समाचार पत्र , जर्नल , मैंगजीन तथा वेबसाइड पर (pull or push तरीके से) जारी, प्रकाशित अथवा सर्क्यूलेंट कराया गया है।

3. "Write up" में केवल निम्नांकित सूचनाओं को ही शामिल किया जा सकता है:–

A. सदस्यों के लिये :–

(1) नाम ..... चार्टड लेखाकार
(2) इंस्टीट्यूट के साथ सदस्यता क्रमांक
(3) आयु
(4) ACA बनने की तारीख
(5) FCA बनने की तारीख
(6) COP प्राप्त करने की तारीख
(7) मान्य योग्यताएँ
(8) भाषा
(9) दुरभाष / मोबाईल / फेक्स नं.
(10) वेब
(11) व्यापारिक पता
(12) फाटो (पासर्पोट साईज)
(13) CA लोगो

CA Aseem Trivedi

(14) ई–मेल

Write up में हस्ताक्षर, सदस्य का नाम/साझेदार का नाम जो फर्म की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है, स्थान तथा दिनांक होना चाहिये।

(15) कर्मचारियों का विवरण

अ. चार्टड लेखाकार

ब. अन्य पेशेवर

स. आर्टिकल्स/अंकेक्षण सहायक

द. अन्य कर्मचारी

(16) कर्मचारियों का नाम तथा विवरण जिसकी (सदस्यों के लिये) स्वीकृति है।

(17) प्रदान की गई सेवायें।

B. फर्म के लिये :–

01. फर्म का नाम ..... चार्टड लेखाकार
02. स्थापना का वर्ष
03. व्यापारिक पता/पते
04. कार्य के घण्टे
05. दुरभाष/मोर्बाइल/फेक्स नं.
06. वेब पता
07. ई–मेल
08. साझेदारों की संख्या
09. प्रोपराईटर/साझेदारों का नाम, उनका विवरण, पासर्पोट साईज फोटो जैसा कि सदस्य के लिये अनुमति है।
10. CA लोगो
11. कर्मचारियों की संख्या –

अ. चार्टड लेखाकार

ब. अन्य पेशेवर

स. आर्टिकल्स/अंकेक्षण सहायक

द. अन्य कर्मचारी

12. फर्म का रजिस्ट्रेशन नं.
13. फर्म के कर्मचारियों का नाम तथा उनका विवरण
14. प्रदान की गई सेवाएँ

4. अन्य शर्ते :–

01. "Write up" असत्य तथा भ्रामक नहीं होना चाहिये तथा जो पेशे को बदनाम करे।

02. "Write up" ऐसा नहीं होना चाहिये जो किसी सदस्य/फर्म पर विशिष्टता का दावा करे।

03. "Write up" अशोभनीय, सनसनीपूर्ण तथा इस प्रकृति का नहीं होना चाहिये जो पेशे को बदनाम करे।

CA Aseem Trivedi

04. “Write up” में सदस्य से संबंधित प्रशंसा पत्र तथा पुष्टि का समावेश नहीं होना चाहिए।

05. “Write up” में ऐसा कोई विवरण शामिल नहीं होना चाहिये जो एक व्यक्ति को गुमराह करने अथवा धोखा देने का कारण बने।

06. “Write up” से अधिनियम के प्रावधानों, चार्टड लेखाकारों विनियमन 1988 के अंतर्गत बनाये गये नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

07. “Write up” में किसी भी भूतपूर्व अथवा भावी नियोक्ताओं/क्लाइंट के नाम शामिल नहीं होना चाहिये।

08. “Write up” 14 से ज्यादा की फोन्ट साईज में नहीं होना चाहिए।

09. “Write up” में उपरोक्त पैरा के अतिरिक्त किसी अन्य सूचना का समावेश नहीं होना चाहिए।

10. “Write up” में उपलब्धियों/पुरस्कार अथवा अन्य किसी पद की सूचना का समावेश नहीं होना चाहिये।

11. धारा 3(A) तथा 3(B) के पैरा (ii) के अनुसार आवश्यक सूचना का विवरण देना अनिवार्य है।

Poser: 84 एक अभ्यासरत् लेखाकार ने एक ऐसा कन्सर्न के अंकेक्षण को स्वीकार कर लिया जिसमें इसके एक रिश्तेदार का सारवान हित है।

Hint: दुर्व्यवहार/चार्टड लेखाकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग – I का वाक्यांश – (2) परिषद को सामान्य मार्गनिर्देशन 2008 के अनुसार।

Poser: 85

Hint: दुर्व्यवहार (same)

Poser: 86

Hint: (same)

Poser: 87 एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार अपनी प्रोफेशनल प्राप्तियों की कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है।

Hint: (same)

Poser: 88 एक चार्टड लेखाकार जिसने अभ्यास का प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया है। आयकर अधिनियम धारा 44AB के अंतर्गत एक कन्सर्न के कर अंकेक्षण को स्वीकार कर लिया।

Hint: (same)

CA Aseem Trivedi

Poser: 89 एक अभ्यासरत चार्टड लेखाकार ने एक कम्पनी में एक अंकेक्षक के रूप अपनी नियुक्ति को स्वीकार कर लिया जिसमें उसके एक रिश्तेदार का सावनि हित है तथा उसने अपने अंकेक्षण रिर्पोट में इस तथ्य का प्रकृटी नही किया।

Hint: (same)

Poser: 90 एक अभ्यासरत चार्टड लेखाकार ने एक फर्म से 20,000 रू. का ऋण लिया जिसमें उसके एक आर्टिकल क्लर्क तथा पिता का हित है।

Hint: दुर्व्यवहार (चार्टड लेखाकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग 2 का वाक्यांश (1)) नियमों का उल्लंघन।

Poser: 91 A तथा B दो अभ्यासरत चार्टड लेखाकारों ने ''टीक्स एण्ड टीक्स प्राईवेट लिमिटेड'' चार्टड लेखाकार फर्म को समामेलित किया जिसका प्रमुख उद्देश्य लेखांकन तथा अंकेक्षण व्यवसाय है।

Hint: दुर्व्यवहार (same) धारा 25 का उल्लंघन।

Poser: 92 एक अभ्यासरत चार्टड लेखाकार जो पॉच से अधिक आर्टिकल नहीं रख सकता है। तथा जिसके पास पहले से ही पॉच आर्टिकल है x को यह दर्शाता है कि उसके पास एक वेकेन्सी है। तथा उस पर दबाव डालता है, तथा उस पर एक औपचारिक विलेक की संचारित करके दबाव डालता है। A अनियमित उपस्थिति के लिए पांचवे आर्टिकल क्लर्क की आर्टिकलशीप को रद्द कर देता है बिना संस्थान को संदर्भित किये।

Hint: (same)

Poser: 93 मि. x एक कंपनी के लागत अंकेक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति को स्वीकार कर लेता है जिसमें वह धारा 224 के अंतर्गत एक अंकेक्षक नियुक्त किया गया है।

Hint: (same) परिषद् के सामान्य मार्गनिर्देशन 2008 के अनुसार।

Poser: 94 मि. Y ने जिनके पास 44 कर अंकेक्षण के असाईमेन्ट है। अनिगमित उपक्रम के दो और कर अंकेक्षण को स्वीकार कर लिया।

Hint: दुर्व्यवहार (same)

Poser: 95 एक बड़ी चार्टड लेखाकार फर्म MMM & co. में 10 साझेदार है। सभी FCA साझेदारों ने अनिगमित करदाताओं के कर अंकेक्षण को 1500 रू. प्रतिवर्ष के आधार पर स्वीकृत कर लिया।

Hint: दुर्व्यवहार नहीं है, कर अंकेक्षण मुक्त है (चार्टड लेखाकार की द्वितीय अनुसूची के भाग II का वाक्यांश I) परिषद् की सामान्य दिशा–निर्देश 2008 के अनुसार।

Poser: 96 आपका उत्तर क्या होगा यदि सभी साझेदार ACA है ?

Hint: दुर्व्यवहार नहीं।

Poser: 97 मि. B वर्ष 2007–08 के लिये A लि. के चिट्ठे पर इस आधार पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि चूँकि वर्ष 2007–08 के लिये पिछले अंकेक्षक की फीस अदत्त है इसलिये वह हस्ताक्षर नहीं कर सकता।

CA Aseem Trivedi

Hint: दुर्व्यवहार, (चा. ले. अ. की द्वितीय अ. के भाग II का वाक्यांश I) परिषद के सामान्य निर्देश 2008 के अनुसार

Poser: 98 मि. A ने इन्दौर नगर पालिका निगम का अंकेक्षण स्वीकार किया जिसमें पिछले बीस वर्षो से उनका 12,000 रू. की राशि का विवादित संपत्ति कर लंबित पड़ा हुआ है।

Hint: दुर्व्यवहार (same)

<u>वाक्यांश :– 2</u>

किसी कंपनी, फर्म अथवा व्यक्ति का कर्मचारी जो अपने नियोजन के दौरान प्राप्त किसी गोपनीय सूचना को प्रकट करता है जब तक ऐसा करना समय के प्रभाव में किसी कानून द्वारा आवश्यक न हो अथवा जब तक नियोक्ता द्वारा ऐसी अनुमति न दी गई हो।

Poser: 99 अपनी सेवाएँ दे रहा एक चार्टड लेखाकार को उस दौरान कंपनी की उत्पादन प्रविधी की जानकारी प्राप्त होती है। जिसकी विस्तृत जानकारी वह एक अन्य कंपनी के नियोक्ता को दे देता है जो उसका मित्र है। उसे इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि वह कंपनी इस सूचना का लाभ उठा सकती है। यद्यपि यह जानता था कि

Hint: दुर्व्यवहार (चा. ले. अ. की द्वितीय अनुसूची के भाग II का वाक्यांश 2)

<u>वाक्यांश :– 3</u>

इंस्टीट्यूट काउंसिल अथवा इसकी कोई समिति, निदेशक (अनुशासन), बोर्ड अनुशासन समिति, गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड अथवा अपीलीय प्राधिकरण कोई ऐसी सूचना, विवरण, फॉर्म तथा विवरणी देता है जो असत्य है।

Poser: 100 एक चार्टड लेखाकार ने अपने आर्टिकल क्लर्क द्वारा पढ़ाई के लिये आज्ञा प्राप्त करने के लिये किये गये आवेदन को ICAI को सबमिट किया तथा पुष्टि की कि कार्यालय के सामान्य कार्य के घण्टे सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक हैं तथा वह घण्टे जिनके दौरान आर्टिकल क्लर्क को क्लास करना आवश्यक है वह सुबह 7 बजे से 9.30 बजे तक है। यद्यपि आर्टिकल क्लर्क एक साल के लिये पूरे सप्ताह सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक क्लास अठेण्ड करता है।

Hint: दुर्व्यवहार, (चा. ले. अ. की द्वितीय अ. के भाग II का वाक्यांश 3)

Poser: 101 एक अभ्यासरत चार्टड लेखाकार ने अपने अभ्यास के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराते समय यह दर्शाया कि वह किसी अन्य व्यवसाय अथवा रोजगार में नहीं है जबकि वास्तव में वह एक व्यावसायिक फर्म में साझेदार है।

Hint: दुर्व्यवहार (same)

<u>वाक्यांश :– 4</u>

यदि अपनी पेशेवर क्षमता में प्राप्त किसी धन का दुरूपयोग अथवा गबन करता है।

CA Aseem Trivedi

भाग – III

इंस्टीट्यूट के सदस्यों के संबंध में सामान्यतः अन्य दुर्व्यवहार

इंस्टीट्यूट का एक सदस्य चाहे वह अभ्यास में हो अथवा नहीं अन्य दुर्व्यवहार का दोषी माना जायेगा यदि उसे एक अपराध के लिये किसी दिवानी अथवा अपराधी न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया है जो 6 माह से अधिक की अवधि के लिये सजा योग्य है।

Recommended Self – regulatory Measures

आशय :– अनुशंसित स्वयं – विनियमक माप।

पेशे की स्वस्थ वृद्धि तथा सदस्यों के मध्य पेशेवर कार्य के समान प्रवाह को सुनिश्चित करने का माप।

स्वयं विनियमक माप अनुशंसित है।

शाखा अंकेक्षण

यह अनुशंसित किया गया है कि प्रधान अंकेक्षक को दस अथवा अधिक सदस्यों को मिलाकर एक कंपनी के शाखाओं का अंकेक्षण नहीं करना चाहिये। परंतु दस सदस्यों से कम सदस्यों से मिलकर बनी स्थानीय अंकेक्षण फर्म द्वारा किया जाना चाहिये।

इसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रदत्त शाखा खातों पर पहुँच रखने वाले वैधानिक अंकेक्षकों पर प्रतिबंध लगाना नहीं है।

यह प्रतिबंध निम्न मामलों पर लागू नहीं होगा –

01. जहॉ शाखा के लेखों तथा रिकॉर्ड्स का रखरखाव प्रधान कार्यालय में किया जाता है।

02. जहॉ एक उपक्रम अथवा एक कंपनी के महत्वपूर्ण परिचालन को शाखा कार्यालय द्वारा किया जाता है।

संयुक्त अंकेक्षण

यह अनुशंसा की गई है कि बड़ी कंपनियों के मामलें में पॉच से कम सदस्यों वाली एक ऐसी फर्म को (जो प्रैक्टिस में हैं) संयुक्त अंकेक्षक के रूप में जोड़ने के व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

जहॉ एक क्लाइंट इस प्रकार की फर्म को संयुक्त अंकेक्षक के रूप में नियुक्त करने की इच्छा रखता है वहॉ वरिष्ठ फर्मो को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

योग्य तथा अयोग्य कर्मचारियों के मध्य अनुपात

काउंसिल की राय में, कि अंकेक्षण कार्य में लिपत एक अभ्यासरत चार्टड लेखाकारों की फर्म में प्रत्येक पॉच अयोग्य सदस्यों के पीछे एक योग्य सदस्य होना चाहिये, आर्टिकल, अंकेक्षक क्लर्क, टाईपिस्ट, चपरासी तथा अन्य व्यक्ति जो पेशेवर कार्य में सीधे लिप्त नहीं है को शामिल न करते हुये।

अन्य फर्मो में अंकेक्षको द्वारा हित का प्रकटीकरण

एक स्वस्थ तथा अच्छे व्यवहार के लिये काउंसिल ने सिफारिश की है कि अंकेक्षकों को विभिन्न फर्म जिनमें उक्त अंकेक्षक या तो साझेदार या प्रोपराईटर हो सकता है के

CA Aseem Trivedi

माध्यम के जरिये अन्य सेवाओं के लिये उनके द्वारा प्राप्त किये गये भुगतान का प्रकटीकरण करना चाहिये।

शुल्क पर सीमा

एक अभ्यासरत सदस्य की पेशेवर स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए जहॉ तक संभव हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह फर्म जिसमें वह साझेदार है उसके द्वारा, उसके साझेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से तथा उन फर्म अथवा फर्मो के द्वारा जिसमें वह अथवा उसके साझेदार, साझेदार है के द्वारा प्राप्त अंकेक्षण तथा अन्य सेवाओं के लिए जिसे उसी प्रबंधन के अंतर्गत एक अथवा अधिक ग्राहक अथवा कंपनियों द्वारा प्राप्त फीस उपरोक्त संर्दभित फर्म, फर्मो अथवा साझेदार की सकल वार्षिक फीस का 40% से अधिक नहीं है।

एक ही प्रबंधन वाली कंपनी का अर्थ वही है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 370 (1 – B) में प्रदान, में परिभाषित है।

प्रदान किया गया है कि एक सदस्य की सकल वार्षिक फीस की ऐसी सीमा सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा वहां पर लागू नहीं होगी जहॉ पर नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है ?

Revision

प्रथम अनुसूची

देखे धारा 21 (3), 21 A (3) तथा धारा 22

वाक्यांश	भाग I सदस्य जो प्रैक्टिस में है	भाग II जो सेवा में है।	भाग III सभी सदस्यों के लिये	भाग IV सभी सदस्यों के लिये
01.	चार्टड लेखाकार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अपने नाम में प्रेक्टिस करने के अनुमति देना।	अपने वेतन को किसी अन्य व्यक्ति के साथ बाटना अथवा स्वीकृति देना।	फैलो सदस्य न होते हुए भी फैलो की तरह कार्य करना	अन्य दुर्व्यवहार छः माह से कम की अवधि के लिए फैलों की सजा अथवा जो पेशे को बदनाम करों
02.	अपनी पेशेवर फीस अथवा लाभ को विनिर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ बांटना अथवा बांटने के लिए स्वीकृति देना।	किसी अन्य व्यक्ति से लाभ अथवा कमीशन का हिस्सा स्वीकार करना	ICAI के प्राधिकरणों को सुचनाएँ नहीं देना।	
3.	विर्निदिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य से कमीशन अथवा दलाली प्राप्त करना।		आवश्यक टेण्डर अथवा पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति को गलत write up देना।	
4.	विर्निदिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ साझेदारी करना।			
5.	विर्निदिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से सेवाएँ प्राप्त करना।			
6.	विज्ञापन इत्यादि के जरिये			

CA Aseem Trivedi

	क्लाईंट से प्रार्थना करना।			
7.	पेशेवर उपलब्धियों का विज्ञापन करना तथा नाम के पश्चात् विर्निदिष्ट डिगरी के अतिरिक्त			
8.	पिछले अंकेक्षक से पत्र–व्यवहार किए बिना अंकेक्षण स्वीकार करना।			
9.	धारा 224 तथा 225 का पालन किए बिना नियुक्ति को स्वीकार करना।			
10.	लाभ अथवा सम्भाव्य खोजों पर प्रतिशत में फीस चार्ज करना।			
11.	स्वयं को किसी अन्य व्यवसाय में लिप्त करना।			
12.	विर्निदिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से हस्ताक्षर करने की अनुमति देना।			

CA Aseem Trivedi

Revision

द्वितीय अनुसूची

देखे धारा 21 (3), 21 B (3) तथा 22

वाक्यांश	भाग I प्रैक्टिस में सदस्यों के लिये	भाग II	भाग III
1.	अपने पेशेवर नियोजन कार्य के दौरान प्राप्त किसी सूचना की गुप्तता को भंग करता है।	अधिनियम के प्रावधानों विनियोग तथा ICAI द्वारा जारी गाईड लाईन का उल्लंघन करता है।	अन्य दुर्व्यवहार यदि छः माह से अधिक अवधि के लिए सजा योग्य है।
2.	विर्निदिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का अपने नाम में प्रमाणित करता है।	सेवा के दौरान प्राप्त गुप्त सूचनाओं को प्रकट करता है।	
3.	यदि भावी अनुमानों की शुद्धता के प्रमाणन पर रिर्पोट करता है।	ICAI के प्राधिकरणों को गलत विवरण देता है।	
4.	ऐसे उपक्रम के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करता है जिसमें उसका उसके साझेदार का अथवा फर्म का हित है।	प्राप्त धन का दुरूपयोग अथवा गबन करता है।	
5.	उन सारवान तथ्यों को प्रकट करने में असफल रहता है जो उसकी जानकारी में थे।		

6.	वित्तीय विवरणों से प्रकट होने वाले उन मिथ्या वर्णनों को रिर्पोट करने में असफल रहता है जो उसकी जानकारी में थे।		
7.	डचित सर्तकता से कार्य नहीं करता है।		
8.	निराधार रिर्पोट करता है।		
9.	सामान्यतः स्वीकृत अंकेक्षण प्रविधियों का पालन नहीं करता है तथा प्रतिवेदन में उसे प्रकट नहीं करता है।		
10.	क्लांइट के धन बताए गए उद्देश्य हेतु उपयोग करने में असफल रहता है।		

सदस्य होने का झूठा दावा करना। (धारा 24)

अधिनियम की धारा 24 यह प्रदान करती है कि यदि एक व्यक्ति जो ICAI का सदस्य नहीं है अपने आपको इंस्टीट्यूट का सदस्य बताता है तथा चार्टड–लेखाकार पद का उपयोग करता है तो उसे प्रथम अपराध के लिए छः माह की सजा के साथ 1,000 रू. तक का जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है ? एक व्यक्ति जो अभ्यास में नहीं है स्वयं को अभ्यासरत व्यक्ति के रूप में दर्शाता है। उस पर वही जुर्माना लगाया जाता है। जो ICAI के एक मेम्बर के लिए निर्धारित है। जो प्रेक्टिस करता है अथवा दर्शाता है कि वह प्रेक्टिस में है, भले ही उसने COP प्राप्त न किया हो।

काउंसिल के नाम तथा अनऑथरईज डिग्री का उपयोग करता है।

1. यदि एक व्यक्ति जनता को भ्रम में डालने के लिए ऐसे नाम अथवा कॉमन सील का यूज करता है। जो इंस्टीट्यूट की कॉमन सील अथवा नाम के जैसा होता है।
2. किसी डिग्री डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र तथा किसी पद का उपयोग करता है जिसका प्रयोजन किसी योग्यता की स्थिति अथवा उपलब्धि को दर्शाता है।
3. किसी भी तरीके से जैसे भी हो चार्टड लेखाकार के पेशे को चलाने की कोशिश करता है तो किसी अन्य कार्यवाही से पक्षपात किये बिना जो उसके विरूद्ध की जा सकती थी तो उसे प्रथम उल्लंघन पर एक हजार रू. तक को जुर्माने से दंडित किया जा सकता है तथा बाद के उल्लंघन पर माह तक कि अवधि के लिये जेल हो सकती है अथवा जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है जो 5,000/– रू. तक हो सकता है अथवा दीनों से दण्डित किया जा सकता है।

गैर – अर्हता प्राप्त व्यक्ति प्रपत्रों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता :–

CA Aseem Trivedi

26 के अनुसार, इंस्टीट्यूट के सदस्य के अतिरिक्त कोई भी धारा व्यक्ति एक अभ्यासरत् चार्टड लेखाकार अथवा फर्म की ओर से किसी प्रपत्र पर न तो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में हस्ताक्षर कर सकता है और न ही उसकी पेशेवर क्षमता में।

यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो किसी अन्य कार्यवाही से पक्षपात किये बिना अथवा नुकसान पहुँचाये बिना जो उसके विरूद्ध की जा सकती थी तो उसे प्रथम उल्लंघन पर जुर्माने से दंडित किया जा सकता है जो 5,000 रू. से कम नहीं होगा तथा जिसे 1,00,000/– रू. तक बढ़ाया जा सकता है।

तथा दोबारा अथवा बार–बार करने पर उसे जेल की सजा हो सकती है जिसे 1 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। अथवा जुर्माना लगाया जा सकता है जो 10,000/– रू. से कम नहीं होगा तथा जिसे 2,00,000/– रू. तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

CA Aseem Trivedi